BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVII | 31st July 2016 | No. 7

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के साथ चैम्बर में संवाद

कार्यक्रम को सम्बोधित करते इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के माननीय उपाध्यक्ष श्री डी० के० गुप्ता। उनकी दाँयी ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं पूर्व अध्यक्ष तथा इण्डस्ट्रीज, बैंकिंग एवं टैक्सेशन उप समिति के संयोजक श्री पी० के० अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, इनकम टैक्स बार एसोसियेशन एवं इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया, पटना ब्राँच के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 30 जून 2016 को इनकम टैक्स सेटलमेन्ट कमीशन के साथ चैम्बर प्रांगण में संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की। इस अवसर पर इनकम टैक्स सेटलमेन्ट कमीशन के माननीय उपाध्यक्ष श्री डी० के० गुप्ता, माननीय सदस्य श्री एस० एम० अशरफ एवं श्री एच० सी० जैन, सचिव श्री एम० के० झा एवं प्रशासनिक अधिकारी श्री निखिल चौधरी, प्रधान आयकर आयुक्त श्री प्रशांत भूषण, आयकर आयुक्त श्री संजय शिवम, श्री ओ० पी० सिंह एवं श्री मनोज कुमार, वरीय अधिवक्ता आयकर श्री एल० एन० रस्तोगी, अधिवक्ता आयकर श्री अजय कुमार रस्तोगी, इनकम टैक्स बार एसोसियेशन के सचिव श्री सतीश कुमार, इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) पटना ब्राँच के चेयरमैन सी०ए० श्री राजेश खेतान एवं सचिव सी०ए० श्री महताब आलम एवं माननीय विधान पार्षद सी०ए० श्री ललन सराफ उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने राज्य के

कार्यक्रम में उपस्थित (बांये से दांये) चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, सेटलमेंट कमीशन के माननीय उपाध्यक्ष श्री डी० के० गुप्ता, सेटलमेंट कमीशन के माननीय सदस्य श्री एस० एम० अशरफ, माननीय सदस्य श्री एच० सी० जैन, प्रधान आयुक्त आयकर श्री प्रशांत भूषण एवं आयुक्त श्री संजय शिवम ।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी राजनैतिक दल वस्तु एवं सेवा कर (GST) को राज्य सभा से पारित करने पर सहमत हो गये हैं और सम्भावना है कि GST BILL सर्वसम्मति से राज्य सभा में भी पारित हो जायेगा। अब यह लगता है कि यह कानून अप्रैल, 2017 से लागू हो जायेगा।

इस पर विस्तृत चर्चा हेतु GST पर एक संगोष्ठी का आयोजन चैम्बर प्रांगण में दिनांक 4 अगस्त, 2016 को किया जायगा। इसमें डॉ० एम० गोविन्दा राव, माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् के पूर्व सदस्य, डॉ० पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP) के अलावा बिहार राज्य वित विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि मित्तल, वाणिज्य-कर विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर विभाग के संयुक्त सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा, संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सहित विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। मैं इस संगोष्ठी में आप सबों की अधिकाधिक संख्या में उपस्थिति की अपेक्षा करता हूँ।

स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बन्धन एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।

आपका

ओ० पी० साह

समस्त उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से सेटलमेन्ट कमीशन के माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि आज की बैठक माननीय इनकम टैक्स सेटलमेन्ट कमीशन के सम्मान में आयोजित की गयी है। इस आयोजन के लिए मैं सेटलमेन्ट कमीशन के साथ-साथ अधिवक्ता श्री अजय कुमार रस्तोगी जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिनके प्रयास से इस बैठक का आयोजन संभव हो पाया है।

चैम्बर अध्यक्ष ने पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आयकर के संबंध में कमीशन द्वारा दी जाने वाली जानकारी से राज्य के व्यवसायी काफी लाभान्वित होंगे।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं चैम्बर के इण्डस्ट्रीज, बैंकिंग एवं टैक्सेशन सब-कमीटी के संयोजक श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि 1975 में कमीशन की स्थापना के बाद से ही बिहार के उद्यमी एवं व्यापारी एवं चैम्बर की ओर से कई बार प्रयास किया गया कि सेटलमेन्ट कमीशन का एक बेंच पटना में स्थापित हो। लेकिन, अभी तक सफलता नहीं मिल पायी है।

समारोह को संबोधित करते हुए सेटलमेन्ट कमीशन के माननीय उपाध्यक्ष श्री डी० के० गुप्ता ने कहा कि इन्कम टैक्स सेटलमेन्ट कमीशन से जुड़े मामले यदि बिहार में ज्यादा होंगे तो सेटलमेन्ट कमीशन की बेंच बिहार में भी आ सकती है। बिहार के लोगों को आयकर समझौता हेतु तब कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। परन्तु आने के लिए स्वीकार्य कारण भी होना चाहिए।

माननीय श्री गुप्ता ने कहा कि टैक्स सेटलमेन्ट के लिए वर्ष 1914-15 में कुल 56 आवेदनों में बिहार-झारखण्ड से 11 आवेदन आये थे तथा वर्ष 2015-16 में कुल 32 आवेदनों में बिहार-झारखण्ड से मात्र 18 आवेदन आये थे। उन्होंने बताया कि सेटलमेन्ट कमीशन की बिहार आकर यहाँ के आयकरदाताओं से मिलने की काफी वर्षों से इच्छा थी।

चैम्बर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम पर श्री डी० के० गुप्ता ने खुशी व्यक्त करते हुए लोगों को आश्वस्त किया कि टैक्स सेटलमेन्ट के लिए बहुत अधिक लीगल टेक्निकल जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कमीशन के कोलकाता बेंच का पूरा प्रयास है कि टैक्स विवादित मामलों के निवारण हेतु 18 माह की जगह 12 माह का ही समय लगे और विवाद का शीघ्र निबटारा हो।

श्री गुप्ता ने आगे कहा कि गलत मूल्यांकन के चलते अथवा अन्य किसी कारणवश अगर आयकर की गणना गलत हुई है और कर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है तो इनकम टैक्स सेटलमेन्ट कमीशन में आवेदन दें। आवेदन में मात्र 500 रूपये का खर्च करना है और 18 महीने में पूरे मामले की जाँच कर अंतिम आदेश आयकर विभाग को दे दिया जायेगा। सेटलमेंट कमीशन 50 लाख से अधिक और विशेष परिस्थितियों में 10 लाख से अधिक के मामलों में दखल देता है। अगर आयकरदाता आवेदन के साथ ही पूर्ण सहयोग करता है तो उसे आयोग गिरफ्तारी और पेनाल्टी से भी बचाता है। करों का भुगतान सेटलमेन्ट कमीशन द्वारा टैक्स पेयर्स की सहमति से तय की गयी राशि पर होता है।

श्री गुप्ता ने बताया कि समझौता आयोग कोलकाता बेंच के अंतगर्त बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्य आते हैं।

सेटलमेन्ट कमीशन के सचिव श्री मिथिलेश कुमार झा ने टैक्स विवाद संबंधी प्रेजेन्टेशन के माध्यम से व्यवसायियों को कमीशन द्वारा विवाद निबटारे की बारीकियों की जानकारी दी।

आयोग के सदस्य श्री एच०सी० जैन एवं श्री एस० एम० अशरफ ने भी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई टैक्स पेयर आयकर निर्धारण से परेशान है तो सेटलमेन्ट कमीशन उनके साथ है। वे सेटलमेन्ट कमीशन से संपर्क कर सकते हैं। लोगों को जानकारी नहीं होने के चलते आयकर निर्धारण हेतु सालों-साल आयकर विभाग का चक्कर लगाते रहते हैं और इससे उनका समय और पैसा दोनो वर्बाद होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी कि आयोग में आवेदन एक ही बार दिया जा सकता है और आवेदन के पश्चात् आवेदन वापस नहीं लिया जा सकता है।

इससे पूर्व आई०सी०ए०आई०, पटना ब्रांच के चेयरमैन सी०ए० राजेश खेतान, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, सी०ए० आशीष अग्रवाल, सी०ए० श्री अरूण कुमार खोवाला एवं अन्य ने भी आयकर संबंधी समस्याएँ रखी, जिनका उत्तर आयोग की तरफ से दिया गया।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल खेतान, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन के अतिरिक्त इन्कम टैक्स बार एसोसियेशन, आई०सी०ए०आई० एवं चैम्बर के सदस्यों सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

अधिवक्ता श्री अजय कुमार रस्तोगी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

''आय घोषणा योजना-2016'' पर चैम्बर में संगोष्ठी आयोजित

''आय घोषणा योजना-2016'' पर दिनांक 5 जुलाई, 2016 को चैम्बर प्रांगण में एक संगोष्ठी आयोजित हुई जिसमें में श्री एस० टी० अहमद, प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (बिहार एवं झारखण्ड) सहित आयकर विभाग के अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। सेमिनार की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि हम आयकर विभाग के आभारी हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये आय घोषणा योजना-2016 के सम्बन्ध में राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा आयोजित संगोष्ठी में पधार कर विस्तृत परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान की और सेमिनार में पधारे हैं।

श्री साह ने कहा कि मित्रों भारत सरकार द्वारा अघोषित आय के लिए Amnesty Scheme काफी दिनों बाद घोषित की गयी है। पूर्व में VDIS 1997 स्कीम लायी गयी थी। उस योजना को सफल बनाने के लिए चैम्बर ने कई संगोष्ठियाँ आयोजित की थी। यह अघोषित आय को घोषित करके मुख्य धारा में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर है जो भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसका लाभ हम सभी को उठाना चाहिए।

चैम्बर अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आय घोषणा योजना-2016 के सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा दी जाने वाली जानकारी से

संगोष्ठी को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बाँयी ओर प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (बिहार एवं झारखण्ड) श्री एस० टी० अहमद, प्रधान निदेशक आयकर, श्री अशोक कुमार सिन्हा, प्रधान आयुक्त आयकर, श्री प्रशान्त भूषण एवं आयुक्त आयकर श्री संजय शिवम। दाँयी ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी तथा पूर्व अध्यक्ष एवं टैक्सेशन उप समिति के संयोजक श्री पी० के० अग्रवाल ।

बिहार के व्यवसायी लाभान्वित होंगे तथा पूर्व की भाँति आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर लायी गयी अन्य योजनाओं की तरह इस योजना को भी सफलीभूत करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करेंगे एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी छूट का लाभ उठाएं।

श्री एस० टी० अहमद, प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (बिहार एवं झारखण्ड) ने आईडीएस 2016 की जानकारी देते हुए कहा कि यह काफी उपयुक्त समय है, लोग इस योजना पर अमल करें और देश के विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति बिना किसी भय के अपनी सम्पत्तियों की जानकारी सरकार को दे। आयकर विभाग की ओर से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जायगा। यह लाइफ टाइम अपॉर्चुनीटी है। विभाग यह नहीं पूछेगा कि यह पैसा और प्रॉपर्टी कहाँ से लाये हैं।

श्री अहमद ने सदस्यों से कहा कि वे 45 प्रतिशत टैक्स देकर तमाम गैर सूचित असेट को ट्रांसपेरेंसी से रखें। यह सर्वोत्तम समय है।

इस अवसर पर आयकर विभाग के श्री अशोक कुमार सिन्हा, प्रधान निदेशक आयकर, श्री प्रशांत भूषण, प्रधान आयुक्त आयकर-2, श्री संजय शिवम, आयुक्त आयकर सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सेमिनार में कुछ प्रश्नोत्तर भी हुए जिसमें प्रमुख थे श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं टैक्सेशन उप समिति के संयोजक, श्री राजेश खेतान, चेयरमैन आईसीएआई, पटना ब्रान्च, अधिवक्ता आयकर श्री अजय रस्तोगी, सीए विपिन विवेक, सीए आशीष कुमार अग्रवाल, श्री नीरज कुमार लाल, सीए श्री सुबोध गोयल, सीए श्री संजीव शंकर आदि।

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस योजना में घोषणा के लिए समय काफी कम है, इसके लिए मार्च, 2017 तक समय मिलना चाहिए था।

सेमिनार में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, कई संगठनों के प्रतिनिधियों सहित प्रेस एवं मीडियाकर्मी काफी संख्या में उपस्थित थे।

अपने धन्यवाद ज्ञापन में महामंत्री श्री शशि मोहन ने कहा कि कोई योजना जितनी सरल होगी उतनी ही फलीभूत होगी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के सदस्य के साथ चैम्बर में संवाद

कार्यक्रम को सम्बोधित करते केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त मंत्रालय) के सदस्य श्री गोपाल मुखर्जी। उनकी बांयीं ओर क्रमशः प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर श्री एस० टी० अहमद एवं दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं पूर्व अध्यक्ष एवं टैक्सेशन उप समिति के संयोजक श्री पी० के० अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 15 जुलाई, 2016 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य श्री गोपाल मुखर्जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयकर घोषणा योजना (IDS) 2016 पर सेमिनार का आयोजन किया गया। चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने सेमिनार की अध्यक्षता की।

श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने अपने स्वागत सम्बोधन में आय घोषणा योजना 2016 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सदस्यों से अपील की कि जिन्होंने अभी तक अपनी अघोषित आय की घोषणा नहीं की है, वे 30 सितम्बर, 2017 तक अवश्य कर दें। केन्द्र सरकार की ओर से यह एक सुनहरा मौका प्रदान किया गया है। हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।

बिहार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं टैक्सेसन उप समिति के संयोजक श्री पी० के० अग्रवाल ने आय घोषणा योजना (IDS) 2016 के प्रति लोगों को जागरूक करने पर बल दिया।

श्री गोपाल मुखर्जी, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त मंत्रालय) ने आईडीएस 2016 की जानकारी देते हुए सदस्यों से अपील किया कि वे इस योजना से लाभ उठाएं। 30 सितम्बर, 2016 तक अपनी आय घोषित करने की सहुलियत सरकार ने प्रदान की है। इस तिथि के बाद लोगों को परेशानी होगी। श्री मुखर्जी ने आगे कहा कि यह योजना सभी के हितों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बनाई है। 30 सितम्बर, 2017 तक अपनी अघोषित आय को घोषित करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। इस तिथि तक आय घोषित करने वाले की किसी प्रकार की जाँच नहीं होगी। इस तिथि के पश्चात् कई परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। विभाग बड़े आयकर दाताओं की सूची

तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि आय की घोषणा ऑन लाईन भी की जा सकती है। समय सीमा में योजना के तहत आय घोषित करने पर मात्र 30 प्रतिशत कर अदा करना होगा। उन्होंने योजना की अन्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आय घोषणा योजना 2016 के अन्तर्गत कर और जुर्माने के भुगतान को तीन किश्तों में भुगतान करने की छूट भी दी है।

कार्यक्रम के दौरान कुछ शंकाओं का श्री मुखर्जी ने समाधान भी किया। इस विचार-विमर्श में सीए श्री राजेश खेतान, चेयरमैन, आईसीएआई पटना ब्रांच, श्री नीरज कुमार लाल आदि प्रमुख थे।

इस अवसर पर श्री एस० टी० अहमद, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार एवं झारखण्ड) प्रधान आयकर निदेशक श्री अशोक कुमार सिन्हा, प्रधान आयकर आयुक्त श्री प्रशान्त भूषण, आयकर आयुक्त श्री संजय शिवम सहित आयकर के वरिष्ठ अधिकारी चैम्बर उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टीबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री शशि मोहन, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष, श्री राम लाल खेतान, चैम्बर के सदस्यगण, विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिगण सहित मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान श्री गोपाल मुखर्जी को चैम्बर का प्रतीक चिन्ह चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने प्रदान कर सम्मानित किया।

महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

चैम्बर द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को प्रमाण-पत्र का वितरण

प्रशिक्षित महिला को प्रमाण-पत्र प्रदान करते श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह। उनकी दांयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं बाँयीं ओर महामंत्री श्री शशि मोहन।

प्रशिक्षित दिव्यांग महिला को प्रमाण-पत्र प्रदान करतीं महिला विकास निगम की चेयरपर्सन सह प्रबन्ध निदेशक डॉ० एन० विजयालक्ष्मी। पीछे मंच पर करतल ध्वनि से महिला का स्वागत करते उपाध्यक्ष श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन श्री दीपक कुमार सिंह, महामंत्री श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं कौशल विकास उप समिति के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा महिलाओं के लिए संचालित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफल महिलाओं को दिनांक 27 जुलाई, 2016 को प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग श्री दीपक कुमार सिंह एवं सचिव, पशुपालन तथा चेयरपर्सन-सह-प्रबंधक निदेशक, महिला विकास निगम डॉ० एन० विजयालक्ष्मी के कर-कमलों से प्रमाण-पत्र का वितरण किया गया ।

सर्वप्रथम चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने सभी आगन्तुकों का स्वागत किया एवं प्रशिक्षण प्राप्त महिलओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा देश के अधिकाधिक महिलाओं एवं युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसी आलोक में चैम्बर ने महिलाओं के कौशल को विकसित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु दिनांक 10 फरवरी 2014 से चैम्बर प्रांगण में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जो अभी तक जारी है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को सिलाई-कटाई में मुख्यत: 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया।

श्री साह ने कहा कि इस कौशल विकास की लोकप्रियता को देखते हुए चैम्बर ने दिनांक 14 अप्रैल, 2015 से कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया जिसका उद्घाटन श्री राजीव प्रताप रूड़ी, माननीय केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता एवं संसदीय कार्य मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि आज सिलाई-कटाई में 177 एवं कम्प्यूटर में 133 प्रशिक्षण प्राप्त (कुल 310) महिलाओं को प्रमाण-पत्र दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक चैम्बर द्वारा चलाए जा रहे सेन्टर से सिलाई-कटाई में 585, कम्प्यूटर में 213, मेंहदी में 132 एवं क्वील्ट बैग में 60 महिलाएं यानि कुल 990 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं।

प्रशिक्षित महिला को प्रमाण-पत्र वितरित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बाँयी ओर श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह एवं महामंत्री श्री शशि मोहन।

प्रमाण-पत्रों के साथ प्रशिक्षित महिलाएं। पीछे श्रीमती गीता जैन, समन्वयक, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष, श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, श्री दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, श्री शशि मोहन, महामंत्री, श्री मुकेश कुमार जैन, संयोजक, कौशल विकास उप समिति एवं अन्य।

चैम्बर के सभागार में प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ग्रहण करने हेतु उपस्थित प्रशिक्षित महिलाएं ।

प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम के दरम्यान जब शरीरिक रूप से अक्षम एक प्रशिक्षणार्थी श्रीमती आरती देवी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र लेने मंच पर पहुँची तो सारा हॉल तालियों की गूंज से भर गया और चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने उनके जज्बे को सलाम करते हुए चैम्बर की ओर से एक सिलाई मशीन देने की घोषणा की तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग श्री दीपक कुमार सिंह एवं सचिव, पशुपालन तथा चेयरपर्सन-सह-प्रबंधक निदेशक, महिला विकास निगम डॉ० एन० विजयालक्ष्मी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा उनके सफल जीवन की कामना की साथ ही चैम्बर द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे इस कार्य हेतु चैम्बर की प्रशंसा की।

कार्यक्रम में काफी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं, चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, स्कील डेवलपमेंट के संयोजक श्री मुकेश कुमार जैन, आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति की मुख्य समन्वयक श्रीमती गीता जैन के साथ -साथ चैम्बर के सम्मानित सदस्यगण एवं अन्य अतिथिगण शामिल हुए।

चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समारोह संपन्न हुआ।

चैम्बर पदाधिकारी जुड़ गए जागरण के अभियान से

पौधरोपण कार्यक्रम में सम्मिलित श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व उपाध्यक्ष, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष, श्री गोविन्द कानोडिया, पूर्व कोषाध्यक्ष, श्री संजय भरतिया, उप संयोजक, ऊर्जा उप समिति एवं श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य ।

दैनिक जागरण के '**मिशन एक करोड़ पौधे**' के तहत दिनांक 10 जुलाई 2016 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने पौधरोपण किया। इसमें चैम्बर अध्यक्ष ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष मधुकर बरेरिया, पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष पटवारी, चैम्बर के ऊर्जा समिति के संयोजक संजय भरतिया, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविन्द कानोडिया, सदस्य विशाल टेकरीवाल आदि शमिल थे। सभी ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पटना सिटी के अब्दुल रहमानपुर मार्ग स्थित दीना आयरन के प्रांगण में पौधरोपण किया। चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि पौधरोपण हमारी संस्कृति रही है। उपाध्यक्ष मधुकर बरेरिया ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन प्रदान करते हैं। ऊर्जा समिति के संयोजक संजय भरतिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। पूर्व कोषाध्यक्ष गोविन्द कानोडिया ने कहा कि वातावरण में कार्बन की मात्रा को संतुलित रखने के लिए हमें पौषरोपण करना आवश्यक है। सदस्य विशाल टेकरीवाल ने पौधरोपण करते कहा कि हर व्यक्ति को अपने घर के पास हरियाली लानी चाहिए ।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.7.2016)

आशा कम, आशंका में उद्योग जगत

• नई उद्योग नीति से उद्योग जगत को है कई आशाएँ

• उद्योग स्थापना के लिए जमीन की दरें सबसे बड़ी समस्या

बिहार में उद्योग नीति को लेकर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संभवत: यह इसी महीने प्रस्तुत होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की औद्योगिक नीति (2011-जून, 2016) को जहाँ देश भर में जबरदस्त प्रशंसा मिली, वहीं इस नीति का समुचित क्रियान्वयन नहीं होने से प्रदेश के उद्योग जगत में थोड़ी निराशा है। यदि एसआईपीबी की रिपोर्ट को देखें तो यह बाद पुष्ट होती है। यहाँ एक लाख 75 हजार करोड़ रुपए निवेश करने के लिए उद्योग जगत के लोगों ने इच्छा जताई थी, लेकिन मात्र साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए का ही निवेश धरातल पर हो सका। इसी प्रकार, फूड एंड ब्रिवरेज की मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो 2015 में आई थी, ने यहाँ उद्योग स्थापित करने का निर्णय वापस ले लिया।

जमीन सबसे बड़ी समस्या : बिहार इस मामले में बेहद कठिन स्थिति में है। यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में जमीन की कीमत बहुत अधिक है, जिसकी तुलना अन्य राज्यों ने नहीं की जा सकती है। यह उद्योग स्थापना के लिए सबसे आधारभूत तथा मोटी लागत वाला विषय है। इसके कारण मशीनरी और अन्य साधन जुटाने से पहले ही बहुत अधिक लागत का भार आ जाता है।

विभाग लक्ष्य तय करे : उद्योग विभाग से जुड़े निकटस्थ लोगों के साथ निरंतर संवाद करने वालों को कहना है कि हर विभाग का लक्ष्य होता है तो उद्योग विभाग का क्यों नहीं। जिन नीतियों को लागू करने की बात है, उसे समय पर लागू नहीं किया जाता है। यदि यह हो तो आधी समस्या यूँ ही दूर हो जाएँगी।

आओ बिहार पॉलिसी पर फिर से ध्यान दे सरकार : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ओ. पी. साह ने कहा कि बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन की समस्या को दूर करने के लिए आओ बिहार पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन यह कामयाब नहीं हुई। इसे फिर से सरकार को प्राथमिकता में लेना चाहिए।

आज होगी पॉलिसी रिव्यू : उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक को सीएम नीतीश कुमार नई औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए के लिए रिव्यू करेंगे। इस मौके पर उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव उपस्थित रहेंगे। जानकारी हो कि पुरानी औद्योगिक नीति समाप्त हो चुकी है और नई नीति की घोषणा होनी है।

"बिहार की पॉलिसी को पहले कर्नाटक, उड़ीसा ने स्वीकारा और अब हरियाणा भी इसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन यहाँ इसके सही क्रियान्वयन की जरूरत है।" **– ओ. पी. साह,** प्रेसिडेंट, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

उद्योग जगत की मांगें : • उद्योग विभाग में नीतियों के क्रियान्वयन का समय निर्धारित हो ताकि तय समय सीमा में लक्ष्य प्राप्ति का लाभ उद्योग जगत को मिले • आधारभूत संरचना का समुचित विकास हो। इसमें जमीन, सड़क, बिजली, वेयरहाउस आदि की व्यवस्था हो • क्वालिटी और सस्ती बिजली मिले, निर्बाध बिजली और अधिकतम तीन रुपए दर हो • कानून- व्यवस्था से एक सकारात्मक माहौल बनाया जाए, भयमुक्त वातारण हो • 'आओ बिहार पॉलिसी' को दोबारा सशक्त तरीके तरीके से शुरू किया जाए ताकि उद्योग के लिए जमीन का आवंटन आसान बने। अन्य संबंधित पॉलिसी को भी सरकार गति दे • फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 2008 की पॉलिसी को जारी रखा जाए।

(विस्तृत : आई नेक्स्ट 5.7.2016)

उद्योगों को भूमि पड़ेगी अब और महंगी

सूबे में उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत उद्यमियों को जमीन खरीदना अब महंगा पड़ेगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने सभी तरह के उद्योगों के लिए आवंटित होने वाली भूमि की किस्तें कम करके ब्याज की दर बढ़ा दी है। पहले 20 अर्द्धवार्षिक किस्तों में आवंटित जमीन की कीमत देनी होती थी, लेकिन अब नए उद्यमियों को सात बराबर किस्तों में ही भुगतान करना होगा। बकाये राशि पर अब 10 फीसद ब्याज भी देना पड़ेगा। अबतक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए आवटित जमीन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगता था। नई दर को जुलाई से प्रभावी कर दिया गया है।

पेमेंट प्लान को आसान बनाने के लिए बियाडा निदेशक पर्षद ने 2014 में कई तरह के नियम बनाए थे। जमीन आवंटन के पत्र निर्गत होने के साथ ही सारी शर्तें लागू होती थी। निदेशक पर्षद के नए नियमों का सबसे ज्यादा असर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाने वाले उद्यामियों पर पड़ेगा। उन्हें भूखंड की कुल कीमत की दस फीसद राशि के बजाय 30 फीसद राशि का भुगतान पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर करना पड़ेगा। साथ ही किस्तें भी कम कर दी गई है। पहले शेष राशि चुकाने को उन्हें मोहलत मिलती थी, किंतु अब उन्हें मात्र सात वर्षों में पूरी राशि देनी होगी। इसी तरह मध्यम एवं बड़े उद्योगों के भूखंडों की बकाया राशि पर अब पाँच के बदले दस फीसद ब्याज देना होगा। अब किस्तों को सात वर्ष में चुकाना पड़ेगा।

"पहले पाँच फीसद ब्याज लिया जा रहा था, लेकिन रिजर्व बैंक के नियमों का हवाला देते हुए सीएजी ने आपत्ति की थी। इसलिए बढ़ाकर 10 फीसद कर दिया गया। 2014 के पहले भी यही प्लान था, जिसे फिर से लागू किया गया है।" **– बी. लाल,** कार्यकारी निदेशक, बियाडा

कारोबारियों की बढ़ी मुश्किलें : पर्षद के नए फैसले से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बियाडा ने दो साल पहले ही विभिन्न जिलों के औद्योगिक भूखंडो की कीमतों में भारी इजाफा किया था। सर्किल दरों को बराबरी पर लाने के लिए कई इलाकों में तो जमीन की कीमत 20 से 40 गुना तक बढ़ा दी गई थी। पटना के बिहटा में पाँच गुनी कीमतें बढ़ी थी। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन की कीमत 2.36 करोड़ से बढ़ाकर प्रति एकड़ 15 करोड़ रुपये कर दी गई थी। इसी तरह हाजीपुर में 1.65 करोड़ से बढ़ाकर करीब सात करोड़ रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया था।

पहले क्या था	अब क्या होगा
• सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के भूखंडों की दस फीसद राशि 15 दिनों में देनी होती थी।	• सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के भूखंड आवंटन के 15 दिनों के अंदर 30 फीसद राशि देनी पड़ेगी।
• शेष 90 फीसद राशि को 20 अर्द्धवार्षिक किस्तों में चुकाना पड़ता था।	• शेष 70 फीसद राशि को सात बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना पड़ेगा।
• दोनों तरह के उद्योगों में उद्यमियों से किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाता था।	• सभी तरह के भूखंडों की कीमतों पर अब 10 फीसद ब्याज देना पड़ेगा।
• मध्यम एवं बड़े उद्योगों की जमीन पर 15 दिनों के अंदर 20 फीसद राशि का भुगतान करना था।	
• शेष 80 फीसद राशि का भुगतान 20 अर्द्धवार्षिक किस्तों में करने का प्रावधान था।	
• बकाया राशि पर ब्याज भी कम, उद्यमियों को सिर्फ पाँच फीसद ब्याज देना पड़ता था।	

(साभार: दैनिक जागरण, 11.7.2016)

नालंदा का सत्तू खाएंगे देसी-विदेशी, बेचेगी अमेजन

जांता में पिसा सत्तू और उसकी सौंधी महक। उसके स्वाद और स्वास्थ्य के लाभ के बारे में क्या कहने। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जांते से पिसा सत्तू अब आपके घर तक पहुँचेगा। वह भी ऑनलाइन नालंदा में जीविका की महिलाएं जांता जांता से पिसकर ये सत्तू तैयार करेंगी।

यही नहीं, ये सत्तू बाजार में तो उपलब्ध होगा ही, विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी अमेजन इसकी मार्केटिंग करेगी। क्षितिज एग्रोटेक ने ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन से करार किया है। देश-विदेश में नालंदा का सत्तू बिकेगा। दिलचस्प यह है कि सत्तू का ब्रांड नाम भी नालंदा सत्तू रखा गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.7.2016)

छोटे उद्योगों के समूह को विकसित करने पर दिया जा रहा रहा जोर

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगें का जिलों में बनेगा क्लस्टर

बडे उद्योगों को आमंत्रित करने के साथ ही राज्य सरकार अब छोटे-छोटे उद्योगों के समूह को विकसित करने पर जोर दे रही है। इसके लिए उद्योग विभाग ने जिला स्तर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का क्लस्टर तैयार करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत छोटे-छोटे उद्योगों को विकसित किया जाएगा। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इसके लिए सभी जिलों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। जिला उद्योग पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में इस दिशा में कार्य शुरू कर दें। कम से कम एक क्लस्टर का विकास प्रत्येक जिले में हो।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के तहत छोटे-छोटे उद्योगों का समूह तैयार करने के लिए 25 जिलों ने प्रस्ताव भेज भी दिया है। इनमें अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, शिवहर, सहरसा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, पश्चिम चंपारण शामिल हैं। विभाग ने शेष 13 जिलों को भी जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। ताकि उद्योगों को चिन्हित कर विकास योजना को लागू किया जा सके। विभागीय सूत्रों ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत भी छोटे-छोटे उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत गांव और अंचल में परंपरागत रूप से संचालित सूक्ष्म उद्योगों को भी कलस्टर में शामिल किया जाएगा।

राइस मिल से लेकर साफ्ट ट्वायज तक क्लस्टर बनेगा : सूत्रों के अनुसार अलग-अलग जिलों में राइस मिल से लेकर सॉफ्ट ट्वायज तक का क्लस्टर तैयार किया जाएगा। इनमें पीतल एवं सिल्वर के बर्तनों व वस्तुओं के निर्माण, खाजा मिठाई, सीप बटन सहित सभी छोटे-छोटे उद्यम शामिल हैं। जिस जिले में जिस उद्योग के विकास को लेकर बेहतर काम हो रहा है। उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और कृषि मौसम के बाद रोजगार के संकट से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.7.2016)

नए क्षेत्रों में विकास पर जोर देगी नई उद्योग नीति

बिहार सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत विकास के लिए नए क्षेत्रों पर जोर देने का फैसला किया है। इसके तहत अब राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और ऊर्जा के साथ-साथ रबड़, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और प्लास्टिक उद्योग पर भी ध्यान देगी। इनमें राज्य सरकार को भारी निवेश होने की उम्मीद है। दरअसल, उद्योग विभाग ने बिहार की नई औद्योगिक नीति को आखिरी रूप दे दिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने प्राथमिकता वाले नए क्षेत्रों का चयन किया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'यह नीति मोटे तौर पर तैयार हो गई है। यह नीति हफ्ते की शुरूआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पेश भी की गई थी। अब यह नीति अगले हफ्ते तक लागू कर दी जाएगी।

उन्हीं के आदेश के मुताबिक इस नई नीति में हमारा सबसे ज्यादा ध्यान विकास और रोजगार पर होगा। तेज औद्योगिकीकरण के लिए हम अपनी क्षमताओं के विकास पर जोर देंगे। हम सबसे ज्यादा ध्यान ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों की तरक्की पर देंगे। हम नए उद्यमियों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे, इसीलिए हमने ऐसे उद्योगों की सूची तैयार की है, जिनमें रोजगार सृजन की सबसे ज्यादा संभावनाएँ हैं। इन्हें हमने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है।'

इसके तहत राज्य सरकार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (थ्रस्ट एरिया) की सूची में विस्तार करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार नए क्षेत्रों

को इस सूची में शामिल कर सकती है। अधिकारी ने बताया, 'हम नए उद्योगों की और भी ध्यान देना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास के मौके उपलब्ध हो सकें, इसीलिए हम रबड़, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और प्लास्टिक उद्योग पर भी खास ध्यान देंगे। इसके अलावा, औद्योगिक कल-पुर्जों और चमड़ा उद्योग पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। कपड़े में भी औद्योगिक कपड़े (इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल) और दूसरे प्रकार की इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।'

नई औद्योगिक नीति में नए उद्यमियों को तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। नए उद्यमियों को प्रबंधन का प्रशिक्षण भी राज्य सरकार देगी।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 8.7.2016)

सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से उद्यमियों को मिलेगी राहत : नीतीश

• 'बिहार औद्योगिक निवेश नीति, 2016' का सीएम के समक्ष हुआ प्रस्तुतीकरण • सिस्टम के शुरू होने से उद्यमियों व निवेशकों की समस्याओं का समाधान एक ही जगह हो जायेगा • 'बिहार औद्योगिक निवेश नीति' पर विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों से भी हुई चर्चा।

राज्य सरकार जल्द ही नयी औद्योगिक नीति की घोषणा कर देगी, इस बाबत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समझ अधिकारियों ने पावर प्रजेंटेशन दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को जल्द-से-जल्द सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। संवाद सभाकक्ष में 'बिहार औद्योगिक निवेश नीति, 2016' के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण के समय मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रामबाण साबित होगा। इससे स्थानीय ही नहीं, बल्कि देशी-विदेशी उद्यामियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस सिस्टम के शुरू होने से उद्यमियों और निवेशकों की समस्याओं का समाधान तय वक्त पर एक ही जगह हो जायेगा। उद्यमियों को कई विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने 'सिंगल विंडो' का प्रजेंटेशन दो-दो बार देखा और उचित सुझाव भी दिये। प्रजेंटेशन के दौरान उन्होंने उद्योग सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों के साथ बिहार औद्योगिक निवेश नीति' के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश, प्रधान सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रधान सचिव पर्यटन हरजोत कौर और मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चन्द्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

(साभार : प्रभात खबर, 16.7.2016)

बिहार में अब नहीं मिलेगा शराब फैक्टरी का लाइसेंस

बिहार सरकार अब राज्य में शराब उत्पादन की इजाजत भी नहीं देगी। राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी उत्पाद नीति में फेरबदल करने का फैसला लिया है। इस संशोधित नीति को नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करने का फैसला लिया है। इसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। दरअसल, पटना उच्च न्यायलय ने हाल ही में कुछ मामलों में घर में शराब मिलने पर होने वाली कार्रवाई को गैर-कानूनी करार दिया था। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति में घर में शराब मिलने पर सजा का प्रावधान नहीं है, इसीलिए ऐसे मामलों में गिरफ्तारी कानूनी नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए अपनी नीति में संशोधन करने का आदेश दिया। इसके लिए राज्य सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में नया विधेयंक पेश करेगी, जिसके तहत घर में शराब मिलने पर भी पूरे परिवार को कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही, इस बारे में सूचना नहीं देने पर पड़ोसियों को भी सजा दी जाएगी। वहीं, इस विधेयक के तहत ताड़ी पर भी पूर्णत: प्रतिबंध प्रस्तावित है। वहीं, शराब उत्पादन पर भी नकेल कसी जाएगी। इसके लिए शराब निर्माण उद्योग को नकारात्मक सूची में डाला जाएगा। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब किसी नई कंपनी को राज्य में शराब उत्पादन का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

वैसे, राज्य में शराब बनाने वाली कंपनियों ने पहले ही अपना उत्पादन कम कर लिया है। वहीं, यूनाइटेड ब्रूअरीज ने तो अपना कारखाना भी बंद कर दिया है। उद्योग विभाग ने इस उद्योग को नकारात्मक सूची में डालने का फैसला लिया है। इसके तहत इन इकाइयों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। वहीं, इन्हें नई औद्योगिक नीति का लाभ भी नहीं मिलेगा। विभाग के अधिकारियों ने कहा, 'हम शराब उत्पादन में निवेश प्रोत्साहित नहीं करेंगे। यहाँ तो अब इन इकाइयों के लिए कोई बाजार भी नहीं है, इसीलिए अब राज्य में किसी को शराब निर्माण का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने ले लिया है, तो उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।'

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.7.2016)

ताड़ी पर भी लगेगा शराब की तरह ही पूर्ण प्रतिबंध

• उत्पाद सब इंरपेक्टर को मिलेगा पुलिस इंस्पेक्टर की तरह ही पावर
• उत्पाद संशोधन विधेयक 2016 की जगह लेगा नया विधेयक
• धारा 79को हटाया जाएगा

राज्य में शराबबंदी का कानून और सख्त होगा। शराब की तरह ताड़ी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। उत्पाद अधिनियम की धारा-79 खत्म होगी। इस धारा में व्यक्ति को कोर्ट या थाने से निजी मुचलके के आधार पर जमानत देने का प्रावधान है। मार्च में विधानमंडल से पारित उत्पाद संशोधन विधेयक- 2016 में इस धारा की अनदेखी हो गई थी। नए विधेयक में सरकार उन सभी धाराओं को खत्म करने जा रही है, जिसका लाभ लेकर शराब व ताड़ी पीने या रखने वालों को जमानत मिल जाती है। उत्पाद सब इंस्पेक्टर को भी पुलिस इंस्पेक्टर की तरह ही अधिकार मिलेंगे। कानून के उल्लंघन की सुनवाई के लिए विशेष अदालत भी गठित की जाएगी। विधानसभा के मानसून सत्र में नया उत्पाद संशोधन विधेयक पेश होगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 2.8.2016)

I-T Declaration Scheme to have 45% tax, not 31% : CBDT

The rate of income tax (I-T) under the Income Declaration Scheme (IDS) is 45% and the effective rate is not 31%, according to clarification issued on 14.7.2016 by the Central Board of Direct Taxes (CBDT). Ambiguity in the wording of an earlier clarification, dated June 30, had led to a view in some quarters that the effective tax rate would be 31 %. This is because it was interpreted that not only would the source of income, which is being disclosed, not be questioned but also the income from which the I-T was being paid.

Thus, a person could utilize his undisclosed income to Pay I-T without including it in the income declared. This would reduce the rate of tax from 45%. **(Source : T.O.I, 16.7.2016)**

अघोषित आय से कर अदा नहीं कर सकते : सरकार

सरकार ने साफ किया है कि आयकर अनुपालन की एक समय के लिए दी जा रही सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति अपनी देनदारी कम करने के लिए अघोषित आय से कर और जुर्माना अदा नहीं कर सकते। ऐसा करने वालों के साथ कोई मुरव्वत नहीं की जाएगी। आयकर विभाग ने कुछ सवालों को लेकर आय घोषणा योजना (आइडीएस) से जुड़े सवालों पर चौथा स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या इस योजना के तहत बिना आय की घोषणा किए अघोषित परिसंपत्ति में से भुगतान किया जा सकता है। इस तरह की छूट से इस योजना के तहत कर, अधिभार और जुर्माने की दी प्रभावी दर 45 फीसद से घट कर करीब 31 फीसद रह जाएगी।

सरकार ने अक्सर पूछे गए सवालों (एफएक्यू) के तौर पर दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया है, 'योजना के तहत कर, अधिभार और जुर्माने की दर में बदलाव की कोई मंशा नहीं है जिसका जिक्र स्वयं योजना में किया गया है।'

इसमें कहा गया है, 'वित्त अधिनियम 2016 की धारा 184 और 185 में अघोषित आय पर 45 फीसद कर, अधिभार और जुर्माने का जिक्र किया गया है।' इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति एक जून 2016 को 100 लाख रुपए की अघोषित आय का खुलासा करता है और वह अन्य अघोषित संपत्ति से 45 लाख रुपए (30 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए) का कर, अधिभार और जुर्माना अदा करता है तो इस मामले में घोषणा करने वाले को योजना के तहत इस 45 लाख रुपए का इस्तेमाल कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया है पर उसे घोषित आय में शामिल नहीं किया गया है तो उसे कार्रवाई से कोई छूटकारा नहीं मिलेगा। **(साभार:जनसत्ता 15.7.16)**

समिति ने सुझाया, तीन लाख से ज्यादा के नकद लेनदेन पर लगे रोक

अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए तीन लाख रुपए से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपए से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिए। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जाँच दल (एसआइटी) ने दिया है। रिटायर्ड जज एम. बी. शाह की अध्यक्षता में गठित एसआइटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी पाँचवीं रिपोर्ट सौंपी है। इसमें अर्थव्यवस्था में कालेधन को कम करने के लिए ये सुझाव दिए गए हैं।

समिति मानती है कि बिना हिसाब किताब वाली काफी पूँजी नकदी के रूप में इस्तेमाल होती है और खजानों में रखी गई है। नकद लेनदेन को लेकर विभिन्न देशों में किए गए उपायों और अदालतों की रपटों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एस आइटी का मानना है कि नकद लेनदेन की ऊपरी सीमा तय की जानी चाहिए। एसआइटी ने तीन लाख रुपए से अधिक राशि के नकद भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की है। उसने कहा है कि इसके लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। इसमें तीन लाख रुपए से अधिक के लेनदेन को अवैध ठहराते हुए दंडात्मक प्रावधान किया जाना चाहिए।

(साभार : जनसत्ता 15.7.2016)

इस माह 3 रिटर्न भरेंगे व्यापारी

राज्य के लगभग 2.5 लाख व्यापारियों को इस महीने तीन रिटर्न फाइल करने होंगे। पहला वित्तीय वर्ष 2015-16 के चौथा तिमाही का रिटर्न, दूसरा वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम तिमाही का रिटर्न और तीसरा वाषिक रिटर्न भरना होगा।

तीनों रिटर्न भरने की अंतिम तिथि इस महीने में अलग-अलग दिन वाणिज्य कर विभाग ने निर्धारित की है। इससे व्यापारियों पर बोझ काफी बढ़ गया है। उनका कहना है कि विभागीय सर्वर पर बोझ बढ़ने के कारण काम धीरे चल रहा है। वाणिज्य कर विभाग में 2015 -16 का चौथा तिमाही का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31अप्रैल 2016 था, जिसे विभाग ने बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया है। इसके अलावा 2016-17 का प्रथम तिमाही का रिटर्न और वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई पूर्व से ही निर्धारित है। ऐसी स्थिति में कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन ने विभाग से तिथि बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन ने चौथा तिमाही रिटर्न भरने की तिथि 31जुलाई, प्रथम तिमाही रिटर्न भरने की तिथि 31 अगस्त और वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि 30 सितम्बर करने की मांग की है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.7.2016)

अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त को सौंपा कार्यभार

वाणिज्य कर विभाग ने हाल ही प्रोन्नत हुए अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त मुख्यालय को कार्यभार सौंप दिया है। अरुण कुमार वर्मा को कर शाखा का वरीय प्रभार, ब्रज किशोर पचेरीवाल को राजपत्रित शाखा, आयुक्त के न्यायालय का कार्य, लोक सूचना अधिकार का अपीलीय पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का नोडल पदाधिकारी, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम हेतू नोडल पदाधिकारी, सच्चिदानंद झा को विधि शाखा, वसूली कोषांग, दीर्घकालीन, डीएमएस और टीआरयू का वरीय प्रभार, राज कुमार को संसदीय कार्य प्रकोष्ठ एवं प्रशासनिक नियंत्रण का वरीय प्रभार, रविशंकर पाल को अराजपत्रित, मुख्यालय स्थापना, बजट एवं लेखा का वरीय प्रभार, उमेश राय को वित्त अंकेक्षण, वैट अंकेक्षण, महालेखाकार अंकेक्षण एवं निगरानी का वरीय प्रभार, संजीव रंजन को अन्वेषण ब्यूरो, जाँच चौकी का वरीय प्रभार, अशोक कुमार को जनशिकायत एवं पेंशन कोषांग का वरीय प्रभार सौंपा गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 9.7.2016)

छोटे व्यापारियों को मिला एक मौका

सालाना 40 लाख रुपये तक कारोबार करते हैं, तो देर नहीं करें, लघु करदाता योजना के तहत वाणिज्य कर विभाग से निबंधन जरूर करा लें। ऐसा नहीं होने पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा कार्रवाई हो सकती है।

विभाग ने छोटे व्यापारियों (जो विभाग से निर्बंधित नहीं हैं) को एक मौका दिया है। विभाग का मानना है कि अगर छोटे व्यापारी खुद से पहल करते हुए लघु करदाता योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो पूर्व में किए गए कारोबार पर ना ही कोई कार्रवाई होगी और ना ही किसी तरह का कर लिया जाएगा। दूसरी बार जाँच के दौरान अगर व्यापारी पकड़े जाते हैं तो उनपर पेनॉल्टी की कार्रवाई उस समय से होगी जबसे उन्होंने कारोबार शुरू किया है।

क्या है लघु करदाता योजना : इस योजना में वहीं व्यापारी शामिल हो सकते हैं जो राज्य के अंदर ही खरीद-बिक्री का कारोबार करते हैं। अगर व्यापारी राज्य के बाहर से एक रुपये का भी सामान लेकर आते हैं, तो वो इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं।

सालाना 10 हजार टैक्स : जो व्यापारी सालाना 40 लाख रुपये तक कारोबार करते हैं, और खरीद-बिक्री राज्य के अन्दर ही करते हैं ऐसे व्यापारी विभाग को 10 हजार रुपये टैक्स देकर पूरे एक साल तक कारोबार कर सकते हैं। व्यापारी चाहे तो इस राशि को दो किस्तों में जमा कर सकते हैं।

साल में एक बार रिटर्न : अधिकारियों के अनुसार जो व्यापारी लघु करदाता योजना के तहत आते हैं उन्हें प्रत्येक तीन महीने पर विवरणी दाखिल करने की जरूरत नहीं है। सालाना 10 हजार टैक्स देने वाले स्कीम में आने वाले व्यापारियों को वर्ष में एक ही विवरणी दाखिल करनी होगी। ऑडिट व संवीक्षा से निश्चित सालाना 10 हजार टैक्स देने वाले व्यापारियों के कारोबार की किसी प्रकार की अंकेक्षण (ऑडिट) नहीं होगा। साथ ही ऐसे व्यापारियों की संवीक्षा भी नहीं होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2016)

काला धन स्कीम में बढ़ेगी भुगतान की समय सीमा

केन्द्र सरकार काले धन से जुड़ी आय घोषणा योजना (आइडीएस) के तहत उजागर की गई राशि पर टैक्स भुगतान की तय समयसीमा बढ़ा सकती है। सरकार ने इस पर कर की रकम किस्तों में चुकाने का इंडिया इंक का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। आइडीएस के तहत देश के भीतर जमा काला धन को उजागर करने के लिए पहली जून से 30 सितम्बर तक के लिए अनुपालन खिड़की (कंप्लायंस विंडो) खोली गई है। इस सुविधा के तहत घोषित काली कमाई पर 30 नवम्बर तक टैक्स व जुमनि की 45 फीसद रकम जमा कराई जा सकती है।

एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार कर भुगतान की इस समयसीमा को बढ़ाने पर सकारात्मक ढंग से विचार कर रही है। सरकार को पता है कि नवम्बर के आसपास नकदी का संकट रहता है। जहाँ तक टैक्स और जुर्माने का सवाल है तो इसे किस्तों में अदा किया जा सकता है।**(साभार : दैनिक जागरण, 8.7.2016)**

सेल्स टैक्स सेटलमेंट की अवधि तीन माह बढ़ी

कारोबारियों के वाणिज्य कर से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सेल्स टैक्स सेटलमेंट योजना 2016 की अवधि तीन माह बढ़ा दी गई है। बिहार सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने अवधि विस्तार का अनुरोध किया था, जिस पर प्रधान सचिव ने सहमति दे दी है। एसोसिएशन के महासचिव पी के मिश्र ने बताया कि सेल्स टैक्स के प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने एसोसिएशन के आग्रह पर अपने वन टाइम सेटलमेंट एक्ट की अवधि का विस्तार छह अक्टूबर तक करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत 2011-12 तक के तमाम विवादों के निपटारे किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत पुराने लोन व वैट एक्ट के मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल बकाए राशि का 30 फीसद, सुद व पेनाल्टी का 10-10 फीसद राशि एकमुश्त जमा करने पर विवादों का निपटारा किया जा रहा है। तीन माह में मामलों के निपटारे की उम्मीद है।

(साभार : दैनिक जागरण, 8.7.2016)

एनजीओ, ट्रस्ट या निजी संस्थान अब ऑनलाइन संशोधन करा सकेंगे

एनजीओ, ट्रस्ट या अन्य निजी संस्थानों के नाम परिवर्तन या सदस्यों की सूची या नाम में बदलाव के लिए अब लोगों को पटना नहीं आना पड़ेगा। निबंधन विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है। विभाग की तरफ से संस्थाओं को निबंधन कराने के लिए पहले से ही ऑनलाइन सुविधा मिली हुई है। अब संस्थाओं का न केवल ऑनलाइन निबंधन होगा, बल्कि वे इसमें किसी भी तरह का संशोधन भी ऑनलाइन करा सकते हैं। निबंधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस सुविधा से संस्थाएँ अपने नाम परिवर्तन से लेकर किसी भी बदलाव को ऑनलाइन कर सकेंगी।

संस्थाएँ इस तरह कराएँ ऑनलाइन निबंधन : निबंधन विभाग की वेबसाइट पर निबंधन की पूरी प्रक्रिया चरणवार दर्ज होगी। आबेदन करने के लिए तमाम कागजात को स्कैन कर इसकी 'पीडीएफ' फाइल को अपलोड करना होगा। इसके बाद डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निबंधन शुल्क जमा करना होगा आवेदन करनेवाले को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर से निश्चित समय के बाद सर्टिफिकेट को इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। **(साभार : दैनिक भास्कर, 8.7.2016)**

व्यापारियों की फाइलों रहेंगी सुरक्षित

राज्य के व्यापारियों की सरकारी फाइलें अब गायब नहीं होगी। सभी फाइल को स्कैन करके कम्प्यूटर में रखा जाएगा। साथ ही हार्ड कॉपी को एक ऐसी जगह सुरक्षित रखा जाएगा, जहाँ आग, पानी और दीमक का कोई असर नहीं होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.7.2016)

केरल में बर्गर-पिज्जा पर 'फैट टैक्स'

केरल सरकार ने देश में अपनी तरह का पहला और अनूठा कदम उठाते हुए ब्रांडेड रेस्टोरेंटों में बिकने वाले पिज्जा, बर्गर और सैंडविच जैसे जंक फूड पर 14.5 फीसदी 'फैट टैक्स' लगाने का निर्णय किया है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.7.2016)

ईंट भट्ठा चलाना हो, तो ले लें एनओसी, वरना लगेगा ताला

अब प्रदेश भर में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठों को बंद किया जायेगा, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से पर्यावरण को संतुलित करने के उद्देश्य से ईंट भट्ठों पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वैसे ईंट भट्ठे जो अवैध रूप से चलाये जा रहे थे, उन्हें बंद करने के लिए नोटिस भेजा गया है। प्रदूषण नियंत्रण की ओर से पूरे प्रदेश भर में अवैध 191 ईंट भट्ठे चिह्नित किये गये हैं।

5,908 ईंट भट्ठे ही पंजीकृत : प्रदेश भर में ईंट भट्ठों की संख्या करीब 6377 है। इनमें 5908 ईंट भट्ठे ही पंजीकृत हैं, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनओसी दिया गया है। वहीं 2, 824 ईंट भट्ठे ऐसे हैं, जो पंजीकृत तो हैं, लेकिन पुरानी तकनीक से संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा 3, 362 ईंट भट्ठे ऐसे हैं, जिन्होंने दोबारा आवेदन नहीं दिया है। इनमें से 278 ईंट भट्ठों का एनओसी नयी तकनीक से है जबकि संचालन पुरानी तकनीक से हो रहा है। वहीं 191 ईंट भट्ठे अवैध हैं। उनको ग्रुप सी और डी में बांट कर एक से डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जायेगा।

पाँच प्रखंडों में नहीं चलेंगे ईंट भट्ठे : पटना के शहरी क्षेत्र में ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जिले के पाँच प्रखंडों में ईंट भट्ठों को एनओसी देने पर रोक लगा दी गयी है। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से पटना, दानापुर, फुलवारी, फतुहा और मनेर के कई ईंट भट्ठों के एनओसी पर रोक लगा दी गयी है। इससे इन प्रखंडों में ईंट भट्ठे नहीं चलेंगे। साथ ही पुराने तकनीक से ईंट भट्ठे का संचालन करने वाले संचालकों को 31 अगस्त तक नये तकनीक विधि से ईंट भट्ठा संचालन करने संचालन करने का निर्देश दिया गया है।

(साभार : प्रभात खबर, 8.7.2016)

बिहार में चिटफंडों पर अब नकेल कसेगी सीआईडी

बिहार सरकार ने अब सीआईडी की मदद से फर्जी चिटफंड और वित्तीय कंपनियों पर नकेल कसने का फैसला लिया है। साथ ही, इन कंपनियों पर कार्रवाई के लिए अब थानेदार और कार्यकारी दंडाधिकारी (एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट) को भी सक्षम पदाधिकारी बनाया गया। इस बारे में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) में फैसला लिया गया। बैठक में राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 30.6.2016)**

व्यापारियों को बड़ी राहत

राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट योजना शुरू की है। इसके तहत जिस व्यापारी का वित्तीय वर्ष 2005 से 2011-12 के बीच कोई टैक्स बकाया है, वह मात्र 10 से 45 प्रतिशत तक टैक्स देकर इस बोझ से बरी हो सकते हैं।

• 06 अक्टूबर तक चालू रहेगी वन टाइम सेटेलमेंट योजना • 21 सितम्बर के पहले देना होगा आवेदन लाभ लेने के लिए।

किस व्यापारियों को कितना लाभ मिलेगा (बीएसटी के लिए)

विवाद का विवरण :	समाधान राशि
1. प्रपत्र 9 सी के दाखिल नहीं किए जाने	विवादित कर की राशि का 10%
2. बकाया कर राशि 10 लाख रुपये से कम हो	विवादित बकाया राशि का 25%
3. बकाया राशि दस लाख रुपये से अधिक परंतु एक करोड़ रुपये से कम हो	2.5 लाख जोड़ 10 लाख से अधिक विवादित बकाया राशि का 32%
4. बकाया राशि एक करोड़ रुपये से अधिक	31,30,000 जोड़ विवादित बकाया राशि का 40%
5. विधि के अधीन किसी आदेश से अधिरोपित अथवा सूद से उत्पन्न विवाद।	विवादित अथवा सूद राशि का 10%

किस व्यापारियों को कितना लाभ मिलेगा (सीएसटी के लिए)

1. 10 लाख से कम बकाया राशि	बकाया राशि का 30%
2. 10 लाख से अधिक पर एक करोड़ से कम	3 लाख जोड़ 10 लाख से अधिक बकाया राशि का 37%
3. एक करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि	36,30,000 रुपये जोड़ एक करोड़ से अधिक बकाया राशि का 45%
4. विधि के अधीन किसी आदेश से अधिरोपित अथवा सूद से उत्पन्न विवाद	विवादित अथवा सूद राशि का 10%

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.7.2016)

बिना कुछ गिरवी रखे मछली पालकों को कर्ज

राज्य के मछली पालकों के लिए खुशखबरी है। मछली पालन व तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए उन्हें ज्यादा दौड़-धूप नहीं करनी पड़ेगी। आसान शर्तों पर कर्ज मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि उन्हें कर्ज के लिए कुछ भी बंधक नहीं रखना पड़ेगा।

सुविधा : • तालाब जीर्णोद्धार व मछली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास • कॉमर्शियल बैंकों के विकल्प की तालाश शुरू • 04 लाख 50 हजार दिए जाएंगे एक तालाब के जिर्णोद्धार को।

"सहकारी बैंकों से आसान कर्ज दिलाने का विभाग का प्रयास है। सीवान का प्रयोग सफल होते ही पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। इससे मछली का उत्पादन बढ़ेगा और अगले दो साल में बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा।" **–निशात अहमद,** निदेशक (फिशरिज) पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग

50 फीसदी राशि होगी अनुदान : पुराने तालाबों की कायाकल्प के लिए 4.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें 50 प्रतिशत राशि सरकार बतौर अनुदान देगी। शेष राशि कर्ज के रूप में सहकारी बैंक देंगे। अभी सरकारी क्षेत्र में 60 हजार हेक्टेयर भूमि पर जलकर हैं। इनके अगले तीन साल में जीर्णोद्धार की योजना है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.7.2016)**

राज्य के 13 में से 12 पनबिजलीघर बंद

राज्य के 13 पनबिजलीघरों में से 12 देख रेख और मेटेनेंस के अभाव में बंद हो गए हैं। कहीं ट्रांसमिशन लाइन गड़बड़ है, तो कहीं बैटरी ही नहीं है। इन बिजलीघरों से 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। बीते दो-ढाई वर्षों में अरवल, बेलसार, अगनूर, बारुण, ढेलाबाग, सेवारी, जयनगरा, श्रीखिंडा, नासरीगंज, डेहरी और कटैया पनबिजलीघर बंद हो गए तो वाल्मीकिनगर परियोजना के तीन में दो यूनिट ठप हो गई। इनमें किसी में 50 हजार तो किसी में 10-20 लाख रुपए का मामूली खर्च है। इतनी राशि खर्च करने पर इन्हें चालू किया जा सकता है। फिर आगे और राशि खर्च कर इन्हें और बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है।

एक पनबिजलीघर से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि प्रस्ताव मुख्यायल को भेजा भी गया है। लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन बंद बिजलीघरों में आगनूर पनबिजलीघर भी है, जिसका उद्घाटन वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इसके बाद बिहार ने पनबिजली के क्षेत्र में काफी तरक्की भी

की। लेकिन, बीते दो-तीन वर्षों पनबिजली क्षेत्र के हालात खराब ही हुए हैं।

तीन-चार जिले हो सकते हैं रोशन : इससे बिहार को रोजाना 40-45 मेगावाट बिजली की क्षति हो रही है। इतनी बिजली से बिहार के 3-4 जिलों का सकंट दूर हो सकता है। यही नहीं बाजार पर बिहार की निर्भरता भी कम होगी। महज एक करोड़ की राशि में इन बिजलीधरों को चालू किया जा सकता है।

जानकारी मिली है, चालू करने के निर्देश दिए गए हैं

"पनीबजलीघर बंद होने की जानकारी मिली है। हम बंद बिजलीघरों को लेकर गंभीर हैं। इन्हें हर हाल में चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये शीघ्र चालू होंगे।" **– विजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जा मंत्री

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 13.7.2016)

कोयला नहीं मिला तो गारंटी मनी के 74 करोड़ पर बिहार ने ठोका दावा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बरौनी बिजलीघर का टेपरिंग कोल लिंकेज हो चुका है रद्द

कोल लिकेज रह होने के बाद भी बिहार ने ईसीएल के पास जमा 74 करोड़ रुपए पर दावा ठोक दिया है। बिहार ने कहा है कि दरअसल ईसीएल को बरौनी बिजलीघर की दोनों नई यूनिटों के लिए टेपरिंग कोल लिंकेज की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ 250-250 मेगावाट क्षमता के दो बिजलीघर बनने हैं। यह मौजूदा बिजलीघर का विस्तारीकरण का हिस्सा है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद इस लिंकेज को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद भी ईसीएल बिहार का 74.51 करोड़ रुपए रखे हुए है।

ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समझ यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र तत्काल इसमें हस्तक्षेप करे। उन्होंने 74.51 करोड़ रुपए पर बिहार का दावा पेश करते हुए कहा है कि इस राशि को जारी करवाने में केन्द्र बिहार की मदद करे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.7.2016)**

दिसम्बर से प्रीपेड व पोस्टपेड सिम से मिलेगी बिजली

राज्य के 50 लाख बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा। इसकी कार्ययोजना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी तैयार कर रही है। केन्द्र सरकार के उदय योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिसम्बर में शुरू होगा। इसका ट्रायल डाकबंगला डिविजन स्थित व्हाइट हाउस में रहने वाले 25 बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ किया जा रहा है। ट्रायल पूरा होने के बाद स्मार्ट मीटर बनाने वाली विशेषज्ञ कंपनियों को टेंडर के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। टेंडर लेने वाली कंपनी ही उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी।

स्मार्ट मीटर में सिम लगा होगा। बिजली चोरी या मीटर में छेड़खानी होते ही सर्वर के माध्यम से कंट्रोल रूम को जानकारी मिलेगी। साथ ही ऑटोकट के माध्यम से तत्काल बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। यदि उपभोक्ता बिजली कंपनी द्वारा स्वीकृत भार से ज्यादा खपत करता है तो कंट्रोल रूम में कार्यरत इंजीनियर उपभोक्ता को फोन कर सूचना देंगे। एक सप्ताह में भार में कमी नहीं आई या स्वीकृत भार बढाया नहीं गया तो कंट्रोल रूप में कार्यरत इंजीनियर सप्लाई बंद कर देंगे। मोबाइल कंपनियों की तरह उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार प्रीपेड व पोस्टपेड की व्यवस्था होगी। जो उपभोक्ता पोस्टपेट कनेक्शन लेना चाहते है, उनको पोस्टपेड दिया जाएगा। जो प्रीपड लेना चाहते हैं, उनको प्रीपेड कनेक्शन मिलेगा।

4500 सरकारी क्वार्टरों में लगा प्रीपेड मीटर : पटना समेत राज्य के सरकारी क्वार्टरों में ट्रायल के तौर पर प्रीपेड मीटर लगाया गया है। बिजली कंपनी ने इस मीटर को आम उपभोक्ताओं के घरों तक ले जाने की तैयारी की थी। लेकिन, केन्द्र सरकार द्वारा उदय योजना लागू किए जाने के बाद प्रीपेड मीटर की जगह अब बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कार्ययोजना तैयार करने में जुटी है।

रीडिंग के लिए नहीं जाना होगा घर : स्मार्ट मीटर की रीडिंग करने के लिए पोस्टपेड उपभोक्ताओं के घर जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन रीडिंग उपभोक्ताओं के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। विस्तृत बिल ई-मेल से भेजा जाएगा।

500 यूनिट से अधिक खपत : पहले चरण में 500 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं के घरों में रमार्ट मीटर की सुविधा दी जाएगी। वहीं, ग्रामीण इलाकों में 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को यह सुविधा मिलेगी।

प्रीपेड से ज्यादा महंगा है स्मार्ट मीटर : सिंगल फेज के एक प्रीपेड मीटर की कीमत 3 हजार रुपए है। जबकि स्मार्ट मीटर की कीमत चार से पाँच हजार रुपए है। इसी तरह थी फेज मीटर की कीमत 5 हजार रुपए है। इसकी तुलना में स्मार्ट मीटर की कीमत सात से 10 हजार के बीच है। आम घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक मीटर की कीमत 1500 से 2000 है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 2.7.2016)**

96 शहरों में मिलेगी 24 घंटे बिजली

राज्य के सभी 96 शहरों को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने इन शहरों को 24 घंटे क्वालिटी बिजली आपूर्ति करने के लिए कार्ययोजना बनाकर उसपर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए तैयार योजना पर 2300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंट्रीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) के तहत सभी 96 शहरों के बिजली के जर्जर तारों को बदलने, पुराने पावर सब स्टेशन का जीर्णोद्धार करने, संकीर्ण गलियों में एरियल बंच केबल लगाने, 315 केवीए के नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाने, बाँस-बल्लो को हटाकर पोल लगाने की योजना है। इसके अलावा इन शहरों को निर्बाध बिजली के लिए 62 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने विशेषज्ञ एजेंसियों को आमंत्रित किया है। चयनित एजेंसियों को बिजली कंपनी द्वारा ट्रांसफॉर्मर और तार उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के वरीय अभियंताओं के अनुसार प्री-बिड मीटिंग में 15 से अधिक एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने कार्ययोजना पेश की।

बनेंगे 62 पावर सब स्टेशन : इंट्रीग्रेटेड पावर डेवलमेंट स्कीम के तहत दक्षिण बिहार के शहरों में 27 और उत्तर बिहार के शहरों में 35 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इन पावर सब स्टेशनों के बनने के बाद 11 केवी के बड़े फीडरों को छोटा किया जाएगा। ताकि उपभोक्ताओं को क्वालिटी बिजली आपूर्ति की जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में 294 पावर सब स्टेशन : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देने के लिए 294 पावर सब स्टेशन बनेगा। इस पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने गाँवों में निर्माण किए जाने वाले पावर सब स्टेशनों की विस्तृत कार्ययोजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है। 19 जुलाई तक एजेंसी तय कर ली जाएगी। दक्षिण बिहार के सभी 17 जिलों में 121 और उत्तर बिहार के सभी 21 जिलों में 171 पावर सब स्टेशन बनाया जाएगा। इन पावर सब स्टेशनों से आम उपभोक्तओं के घरों में बिजली पहुँचने के साथ 11 केवी का कृषि डेडिकेटेड फीडर भी निकाला जाएगा। कृषि डेडिकेटेड फीडर किसानों के खेतों से होकर गुजरेगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.7.2016)**

फ्यूज कॉल सेंटर पर करें बिजली कट की शिकायत

राजधानी के ज्यादातर हिस्से में एक से पाँच घंटे तक बिजली कट रही है। परेशान उपभोक्ता बिजली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर और पेसू कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन करते हैं पर लगातार व्यस्त टोन आने के कारण घंटों बाद शिकायत दर्ज होती है।

इन नंबरों पर करें शिकायत	
7033190103	– न्यू कैपिटल डिविजन
7033190106	– एम. एल. ए. फ्लैट
7033190108	– बोर्ड कॉलोनी
7033190110	– कैटलफीड पावर सब स्टेशन
7763814441	– आशियानानगर, एक्साइज कॉलोनी
7033190112	– पाटलिपुत्रा
7033190114	– एस. के. पुरी
7033190116	– ए. एन. कॉलेज
7033190118	– कदमकुआँ

7033190120	– एक्जीबिशन रोड
7033190122	– मौर्या लोक
7033190124	– आरपीएस लॉ कॉलेज
7033190126	– खगौल
7033190128	– गाड़ीखाना
7033190130	– फुलवारी
7033190132	– गोला रोड
7033190134	– दीघा
7033190136	– जक्कनपुर
7033190138	– अनीसाबाद
7033190140	– गर्दनीबाग
7033190142	– एस. के. मेमोरियल
7033190144	– पी.एम.सी.एच.
7033190146	– पी. यू. सेक्शन कार्यालय
7033190148	– बहादुरपुर
7033190150	– कुम्हरार
7033190152	– हारुननगर
7033190154	– कंकड़बाग पावर सब स्टेशन
7033190156	– कंकड़बाग पश्चिमी
7033190158	– अशोकनगर
7033190160	– आर. के. नगर
7033190162	– करबिगहिया
7033190164	– पादरी की हवेली
7033190166	– मंगल तलाब
7033190168	– मारुफगंज सब डिविजन कार्यालय
7033190169	– उत्तरी मारुफगंज
7033190170	– पश्चिमी मारुफगंज
7033190171	– कटरा सेक्शन कार्यालय
7033190173	– कटरा पावर सब स्टेशन
7033190175	– मीना बाजार
7033190177	– गायघाट
7033190179	– पत्थर की मस्जिद
7033190181	– राजेन्द्र नगर
7033190183	– सैदपुर
7033190194	– मछुआ टोली
7033190196	– मुसल्लहपुर
7763814736	– सदाकत आश्रम

बिजली गुल होने पर यहाँ बताएं

हेल्पलाइन नंबर- 1912, 18003456198

पेसू कंट्रोल रूप 0612-2280024, 2280014

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.7.2016)

कृषि उपकरण पर तीन लाख रुपये तक का मिलेगा कर्ज

इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरटिव लिमिटेड (इफ्को-किसान) ने देश के किसानों को तीन लाख रुपये तक आसान कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया है। इस योजना में किसान अपने पुराने कृषि उपकरणों पर छोटे कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज ट्रैक्टर, ट्रॉली, सिंचाई पंप, थ्रेशर आदि जैसे उपकरण के दस्तावेजों पर लिया जा सकेगा। इस योजना को अगले कुछ दिनों में राजस्थान के कई जिलों में एक साथ पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके पश्चात अगस्त के पहले सप्ताह में इसे उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। इसके पश्चात बिहार, झारखंड, सहित देशभर में योजना को लागू किया जाएगा।

कृषि उपकरण 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। किसान को कर्ज अधिकतम तीन वर्ष में अदा करना होगा। इसके लिए उससे सालाना 18 फीसदी ब्याज देना होगा। इफ्को-किसान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप मल्होत्रा ने हिन्दुस्तान को बताया कि किसानों को दो से तीन लाख रुपये उनकी जरूरत के मुताबिक कर्ज दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक नजर में 18 फीसदी ब्याज ज्यादा लग सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बीमारी, शादी, पढ़ाई अथवा प्राकृतिक आपदा में पैसे की जरुरत पड़ने पर किसान साहूकारों को 30-40 फीसदी ब्याज देने पर विवश होते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.7.2016)**

उर्वरक कंपनियां कीमतें घटाएँ नहीं तो रोकी जाएगी सब्सिडी

सरकार ने निजी उर्वरक कंपनियों को सार्वजनिक उपक्रमों की तरह गैर यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमत जल्द से जल्द घटाने को कहा है और उन्हें आगाह किया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सब्सिडी काट दी जाएगी।

डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) तथा एनपीके जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है और इनके अधिकतम खुदरा मूल्य विनिर्माताओं द्वारा तय किए जाते हैं, जबकि केन्द्र सरकार उन्हें हर वर्ष एक निर्धारित सब्सिडी प्रदान करती है। इस माह के आरंभ में उर्वरक मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की उर्वरक कंपनियों को कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में गिरावट का लाभ किसानों को देने के लिए इनके इन उर्वरकों के दाम कम करने को कहा था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.07.2016)

मेमू ट्रेनें कम कर सकती हैं गाँधी सेतु का बोझ

गाँधी सेतु की हालत जर्जर होती जा रही है और शहर ट्रैफिक जाम से जुझ रहा है। ऐसे में दीघा पुल राज्य के लोगों के लिए वरदान हो सकता है। दीघा पुल के रास्ते अगर एक दर्जन मेमू ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाय तो राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गाँधी सेतु पर ट्रैफिक लोड कम होगा साथ ही उत्तर बिहार से बेहतर कनेक्टिविटी होने से लोगों के समय व पैसे की बचत हो सकेगी। ट्रकों की ढुलाई की सेवा की शुरुआत अच्छा प्रयास है। इसके फेरे बढ़ाए जाने से भी ट्रैफिक लोड कम होगा।

दीघा रेल पुल पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में अब राजधानी के लोगों को रेलवे से बड़ी आस जगी है। सांसद, यात्री संघ व शहर के लोगों का कहना है कि दानापुर व राजेन्द्र नगर से दीघा पुल होते हुए उत्तर बिहार के लिए दर्जन भर मेमू ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाय तो एक साथ तीन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यात्रियों को उनकी ट्रेन मिलेगी, रेलवे की आय भी बढ़ेगी। राजधानी को जाम की समस्या निजात मिलेगी और उत्तर बिहार को जोड़ने वाली लाइफलाइन गाँधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। सबसे अहम तो यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर दीघा रेल पुल का निर्माण किया गया वह इन ट्रेनों के परिचालन से पूरा हो जाएगा।

होगी सहूलियत : हाजीपुर की ओर आने-जाने यात्रियों के पास अभी दो ही विकल्प हैं। या तो गाँधी सेतु से होकर वाहनों से आएँ-जाएँ या फिर पाटलिपुत्र जंक्शन जाकर ट्रेन से हाजीपुर जाएँ।

गाँधी सेतु से जाने में घंटों समय लग जा रहा है। वहीं पाटलिपुत्र आने-जाने में समय व पैसे दोनों ज्यादा लग रहे । बिहार दैनिक यात्री संघ ने रेलवे के सामने एक बेहतर प्रस्ताव रखा है। अगर दानापुर व राजेन्द्र नगर टर्मिनल से उत्तर बिहार के कुल शहरों के लिए 3 ट्रेनों के दो फेरे चला दिया जाय तो रेलवे एक दिन में लाखों की कमाई करेगा। यात्री संख्या के लिहाज से हर दिन लगभग 24 हजार यात्री आ-जा सकेंगे व गाँधी सेतु पर हजारों वाहनों का दबाव कम होगा।

गाँधी सेतु की दिन-ब-दिन बिगड़ती स्थिति से वाहनों को गंगा पार जाने की सुगम राह नहीं मिल रही। ऐसे में उत्तर बिहार आने-जाने का संकट बनता जा रहा है। बाइपास के इलाके से लेकर गंगा सेतु तक जाम का झाम हर दिन लगा रहता है, जिससे समय, इंधन व पैसे की भारी खपत हो रही है।

"दीघा पुल होते हुए उत्तर बिहार के लिए कई ट्रेनों को चलाने की योजना है। लगभग एक दर्जन ट्रेनों का परिचालन अभी हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने से और आसानी हो गई। दानापुर व पाटलिपुत्र से ट्रेनों को चलाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।" **– ए. के. रजक,** सीपीआरओ, पू.म.रे.

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सहमत : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि रेलवे को तो अब दर्जनों ट्रेनें उत्तर बिहार के लिए चलानी चाहिए। इससे आम लोगों को सीधा फायदा है।

दीघा ब्रिज बन जाने से इसकी संभावना बढ़ गई है। रेलवे रो-रो सेवाओं का किराया कम कर इसके फेरे बढ़ाए तो भी इसका लाभ व्यापारियों- व्यवसायियों को मिलेगा। हर शहर से कनेक्टिविटी के लिए रेलवे को काम करना चाहिए। बोर्ड व रेल मंत्रालय को इसके लिए पत्र लिखा गया है।

ट्रैक पर होगी बेहतर स्पीड, दीघा रूट अभी खाली : दीघा पुल पर सीआरएस पी० के० आचार्य ने राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रैनों को चलाने की सहमति दे दी है। ऐसे में 110 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। फिलहाल एक दर्जन ट्रेनों की आवाजाही इस रूट पर हो रही है। ऐसे में रूट क्लीयर होने से ट्रेनों की लेटलतीफी की कम ही संभावना है। विद्युतीकरण के बाद आसान हुई रेल की राह से यात्री आराम से ट्रेनों से अपने गतव्य तक पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने पर जाम में बचने के लिए लोग पाटलिपुत्र ट्रेन पकड़ने जा भी रहे हैं। दीघा रूट की लोकप्रियता को इसी से समझा जा सकता है कि केवल छह महीने में ही आय के मामले में पाटलिपुत्र स्टेशन ने दानापुर को पीछे कर दिया है। रेलवे की मंशा पाटलिपुत्र से मेमू ट्रेने चलाने की है भी लेकिन यात्रियों को इसका विशेष फायदा तब होगा जब ट्रेने पटना जंक्शन, दानापुर या राजेन्द्र नगर से चलें। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.7.2016)**

बगैर स्पीड गवर्नर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

सूबे में बगैर स्पीड गवर्नर व्यावसायिक वाहनों का अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। परिवहन आयुक्त ने शोरूम से गाड़ी निकलने से पहले गाड़ियों में स्पीड गवर्नर की जानकारी सुनिश्चित करने के बाद जिला परिवहन अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन करने और परमिट देने का सख्त आदेश दिया है। पहली अप्रैल के बाद रोड पर आने वाले व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

गति सीमा किमी/घंटे में : • स्कूल बस- 40 • ट्रक- 60 • डंपर- 60 • व्यावसायिक सवारी गाड़ी- 80 **इन वाहनों को छूट :** दोपहिया, तीन पहिया, कार, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को इन नियमों से छूट दी जाएगी। दरअसल, ट्रकों और बसों की तेज गति के कारण होने वाले हादसे 28 फीसद से ज्यादा हैं। पूर्व में पंजीकृत वाहनों को फिटनेस भी तभी दी जाएगी जब उनमें स्पीड गवर्नर लगे होने की पुष्टि हो जाएगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 9.7.2016)**

दानापुर-सिटी के बीच छह स्थलों पर बनेगा ओवरब्रिज

गुरु गोविन्द सिंह के 350 वें प्रकाशोत्सव के मौके पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने छह रेलवे क्रॉसिंग स्थलों पर ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति दे दी है। विभाग ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए सात करोड़ 21 लाख 29 हजार 420 रुपये स्वीकृत भी कर दिये हैं। जिन स्थानों पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना है। पथ निर्माण विभाग को 25 पथों के निर्माण जीर्णोद्धार के लिए पुल 55 करोड़ 99 लाख 82 हजार 800 रुपये आवंटित किये गये हैं। इसके अनुश्रवण की जिम्मेवारी पटना के जिलाधिकारी को दी गयी है। गौरतलब है कि अगले साल जनवरी में गुरु गोविन्द सिंह जी की साढ़े तीन सौवीं जयंती मनायी जायेगी।

यहाँ बनेगा फूट ओवरब्रिज

• पटना सिटी और बंका घाट के बीच -1 • राजेन्द्र नगर से गुलजारबाग के बीच -1 • पटना से राजेन्द्र नगर के बीच -2 • दानापुर से नेउरा के बीच -1 • नेउरा से बिहटा के बीच- 1

(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.7.2016)

पटना के आठ फ्लाईओवरों के नीचे बनेगी पार्किंग

शहर में आठ नई पार्किंग बनेंगी। ये पार्किंग शहर के आठ पुराने फ्लाईओवर के नीचे विकसित होंगी। नगर आयुक्त ने ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग विकसित करने की जिम्मेवारी संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी को दी है। नगर आयुक्त ने सभी पुराने ओवरब्रिज के नीचे से अतिक्रमण हटाकर उसका सौंदर्यीकरण कराने का निर्देश भी दिया है। कार्यपालक पदाधिकारियों को ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग बनाने संबंधी अपनी रिपोर्ट सात दिनों के भीतर नगर आयुक्त को सौंपनी होगी। ये सभी पार्किंग शहर के व्यस्त इलाके में हैं। पार्किंग बन जाने से लोगों को जाम व गाड़ी खड़ी करने की समस्या से राहत मिलेगी।

विकसित होगी पार्किंग : 1. चिरैयाटांड़ ओवरब्रिज 2. राजेन्द्रनगर ओवरब्रिज 3. बहादुरपुर ओवरब्रिज 4. कुम्हरार ओवरब्रिज 5. मीठापुर ओवरब्रिज 6. यारपुर फ्लाईओवर 7. गर्दनीबाग ओवरब्रिज 8. करबिगहिया ओवरब्रिज। **यह होगा फायदा :** • शहर में पार्किंग का विकल्प बढ़ेगा, जाम कम लगेगा • पार्किंग के पास युरिनल-शौचालय की सुविधा बढ़ेगी • सड़क और ओवरब्रिज के निचले हिस्से सुंदर दिखेंगे • स्मार्ट सिटी की दौड़ में पटना को मजबूती मिलेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2016)**

टोल प्लाजा पर अब नहीं कटानी पड़ेगी पर्ची

अब आपको टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लगाकर पर्ची कटानी नहीं पड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकार ने ऑटोमेटिक टोल गेट की शुरुआत कर दी है। उक्त सिस्टम के तहत टोल प्लाजा के पास वाहनों के पहुँचते ही बैरियर अपने आप खुल जाएगा।

नहीं लगना होगा कतार में : टोल प्लाजा प्रशासन मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग ने लंबी कतार से छुटकारा के लिए यह पहल की है। हाईटेक सिस्टम के तहत राजमार्ग प्रधिकार ने कैमूर के जीटी रोड पर डिडखिली के पास टोल प्लाजा ट्रायल के रूप में दो फास्ट टैग लेन शुरू किया है। प्राधिकार ने दोनों फास्ट टैग लेनों पर कर्मियों का पहरा लगा दिया है, ताकि फास्ट टैग लगे वाहनों के परिचालन में परेशानी नहीं हो।

जल्द सभी लेनों को जोडेंगे : अफसरों ने बताया कि यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में सभी लेनों को फास्ट टैग से जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों को यात्रा के दौरान राहत मिलेगी। कोई वाहन मालिक फास्ट टैग सिस्टम लगवाता है तो उसे देश के किसी भी टोल प्लाजा पर पर्जी कटाने की जरूकत नहीं पड़ेगी।

बैरियर पर नहीं दिखाना पड़ेगा फास्ट टैग : भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्रधिकार की ओर से प्राधिकृत नेशनलाइज बैंकों के माध्यम से फास्ट टैग खरीदने की सुविधा है। फास्ट टैग का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खाते से पैसा कट जाएगा। फास्ट टैग वाहनों के शीशे पर लगाए हैं तो उन्हें बैरियर के पास उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वाहन टोल से जैसे ही क्रास करेगा, टैग के सिग्नल वहाँ लगे आटोमेटिक कम्प्युटर सिस्टम के माध्यम से बैरियर अपने-आप खुल जाएगा और खाते से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा।

पंजीकरण के लिए ये देने होंगे कागजात : अफसरों ने बताया कि प्रीपेड टोल प्रणाली के तहत वाहनों के पंजीकरण के लिये गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति, मालिक का पहचान पत्र और मोबाइल नंबर देना होगा। वाहन मालिक का बैंक में खाता होगा तो उसे रिचार्य करने के लिये बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोल प्लाजा पर ही प्रीपेड टैग बिक्री करने की व्यवस्था बनायी गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.7.2016)**

बाघा बॉर्डर के बाद बिहार में

पाँच इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों पर लगेंगे 50-50 करोड़ रुपए के ट्रक स्कैनर

राज्य में चेकपोस्टों पर 50-50 करोड़ रुपए के होल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाए जाएंगे। यह स्कैनर बाघा बॉर्डर के बाद बिहार में लगाया जाएगा। इसे शराबबंदी को लागू करने का बड़ा उपाय माना जा रहा है। स्कैनर ऐसा होगा, जिसमें पूरा-पूरा ट्रक स्कैन हो जाएगा। ट्रक में कहीं भी शराब रखी गई होगी तो यह स्कैनर के स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका फायदा वाणिज्य कर विभाग को भी होगा। स्कैनर राज्य के पाँच इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों पर लगाए जाएंगे। इसके लिए उत्पाद विभाग ने निविदा भी आमंत्रित कर दिया है।

राज्य में कहीं से भी शराब की आवाजाही न हो, इसे लेकर उत्पाद विभाग गंभीर है। राज्य के पाँच इंट्रीग्रेटेड चेकपोस्टों से रोज हजारों की संख्या में ट्रकों की आवाजाही होती है। उत्पाद या वाणिज्य कर विभाग ट्रक के अंदर क्या है, इसकी जानकारी के लिए अभी परमिट पर ही निर्भर है। संदेह होने पर ट्रक को खोलकर जाँच की जाती है। यह कठिन काम है। उत्पाद विभाग ने ट्रक में रखी वस्तु की जांच के लिए होल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाने का निर्णय लिया है। पाँचों चेकपोस्टों पर एक-एक स्कैनर लगाए जाएंगे। **(साभार : दैनिक भाष्कर 6.7.2016)**

स्टार्टअप : एक साल की राहत मिली

स्टार्टअप कंपनियों पर एक साल तक श्रम अधिकारियों का कोई जोर नहीं चलेगा। केन्द्र सरकार ने इन्हें एक साल के लिए श्रम कानून से जुड़े नियमों

से छूट प्रदान की है और श्रम अधिकारियों को कदम उठाने से रोक दिया गया है। श्रम के मुद्दे पर सरकार ने स्टार्ट अप को ऑनलाइन स्व घोषणा की छूट भी दी है।

डीआईपीपी से प्रमाण पत्र लेना जरूरी : केन्द्र सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया एक्शन प्लान के तहत श्रम कानून से जुड़े छह नियमों से राहत प्रदान की है, ताकि उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े । श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि जिन स्टार्टअप को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) से प्रमाणपत्र मिला है उनका श्रम अधिकारियों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया जाए। इन कंपनियों को पहले साल के लिए स्व-घोषणा की छूट दी गई है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि स्टार्टअप कंपनियों को इंस्पेक्टर राज की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा।

उत्साहवर्द्धन : • केंद्र ने श्रम अधिकारियों को निरीक्षण करने से रोका • पहले साल ऑनलाइन स्व- घोषणापत्र भरेंगे स्टार्टअप

इन नियमों में छूट : • भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी अधिनियम - 1996 • अंतर-राज्यीय निर्वासित कर्मचारी अधिनियम - 1979 • पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट - 1972 • संविदा मजदूरी अधिनियम - 1970 • ईपीएफओ अधिनियम - 1952 • कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम - 1948 **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2016)**

बिहार का होगा अपना सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट

• पहल : संशोधन के बाद विधानमंडल से कराया जाएगा पास, फिर भेजा जाएगा केन्द्र सरकार को • सोसायटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से हो रही थी परेशानी

जल्द ही बिहार का अपना सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा। निबंधन एवं उत्पाद विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। वित्त और लॉ विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। इसका नाम बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट रखा गया है। राज्य में सोसायटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद से केन्द्रीय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत काम करने में परेशानी होने लगी है। इस एक्ट में किसी भी तरह के संशोधन के लिए विधानमंडल से पास करवाकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजना पड़ता है। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने में सालों लग जाते हैं। इतना ही नहीं एनजीओ और सोसायटी रजिस्ट्रेशन शुल्क भी काफी कम है। इससे आनुपातिक बनाने की जरूरत काफी दिनों से महसूस की ज़ा रही थी।

क्या होगा बदलाव : सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में किसी एनजीओ या सोसायटी का पंजीयन रद्द करने का अधिकार केवल दो परिस्थितियों में ही है। पहला अगर राज्य में पंजीकृत एनजीओ या सोसायटी राज्य विभाजन के बाद दूसरे राज्य चले गए हो या अपने निर्धारित उद्देश्य से प्रतिकूल काम कर रहा हो। यानी वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो। वर्तमान एक्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण के तहत रुल्स में संशोधन कर संस्था में एक महिला सदस्य रखने का प्रावधान किया है।

पंजीयन शुल्क को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा : शराबबंदी से हुए राजस्व हानि की भरपाई के लिए भी राज्य को अपना सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाना जरूरी हो गया था। इस एक्ट के तहत 1860 से ही पंजीजन शुल्क 50 रुपए है। इससे इस दौरान हुए रुपए का अवमूल्य को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा। इन राज्यों का है अपना सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, मेघालय और जम्मू-कश्मीर।

"निबंधन विभाग अपना सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है।"

– मणिभूषण प्रसाद, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन एवं उत्पाद विभाग, पटना

(साभार : दैनिक भास्कर, 4.7.2016)

भागलपुर में गंगा जलीय जीव ज्ञान प्रबंधन केन्द्र शुरू

गंगा जलीय जीव ज्ञान प्रबंधन केन्द्र का भागलपुर के सुंदरवन में शुभारंभ हो गया है। पूरे देश में यहाँ पाँचवा नॉलेज बैंक केन्द्र खोला गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से आए डॉ. वी. पी. यूनियाल ने यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन : • 112परियोजनाएँ उत्तर प्रदेश में • 20 परियोजनाएँ पश्चिम बंगाल में • 400 गंगातट पर बसे गांवों का विकास पहले चरण में • 1985 में पहली बार शुरू हुआ था गंगा सफाई का काम • 4000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं गंगा सफाई पर • 2014 में मोदी सरकार ने 'नमामि गंगे परियोजना' का ऐलान किया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.7.2016)**

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

आवश्यक सूचना

हमारे देश के श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग अपनी जीविकोपार्जन हेतु विदेशों में कार्यरत है एवं बिहार राज्य के विभिन्न जिलो के श्रमिक भी विदेशों में कार्य के लिए जाते है। प्राय: ऐसा देखा जाता है कि विदेशों में जाने वाले प्रवासी कामगारों को विदेश में किसी प्रकार की समस्या जैसे श्रमिकों की स्वदेश वापसी, नियोजकों द्वारा वेतन न दिया जाना, ठेका की शर्तों को तोड़ देना, श्रमिकों को बंधक बना लिये जाने से संबंधित आदि समस्या उत्पन्न होने पर उन्हें तुरंत मदद नहीं मिल पाता है एवं यदि उनकी मृत्यु विदेश में हो जाती है तो उनके शव को स्वदेश लाने में भी विलंब होता है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने MADAD पोर्टल (madad.gov.in) की शुरूआत की है। इस पोर्टल के भाध्यम से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था प्रवासी श्रमिकों से संबंधित शिकायत को दर्ज करा सकता है। साथ ही इस पोर्टल पर दिये टॉल फ्री नं. (1800-258-0222) पर फोन कर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है!

अत: सभी संबंधितों से अनुरोध है कि विदेश मंत्रालय के पोर्टल (madad.gov.in) पर ही अपनी शिकायत दर्ज करायें ताकि ऐसे प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा सके।

श्रम आयुक्त,

(साभार : दैनिक भास्कर, 30.6.2016) **श्रम संसाधन विभाग**

श्रमिकों का अब साल में एक ही बार होगा निबंधन

श्रमिकों को अब हर माह की जगह साल में एक बार निबंधन कराना होगा। इससे श्रमिकों को हर माह 20-20 रुपए निबंधन शुक्ल के रूप में भरने की जरूरत नहीं होगी। श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों के निबंधन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर यह व्यवस्था लागू होगी। नए प्रावधान से राज्य के 10 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। सालाना श्रमिकों का निबंधन मद में 220 रुपए की बचत होगी। औजार सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए श्रमिकों का निबंधन जरूरी है। श्रमिक ऑनलाइन भी निबंधन करा सकेंगे। इसके लिए प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधन की व्यवस्था होगी। राज्य में निबंधित मजदूरों की संख्या भी बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। अभी राज्य में लगभग 4 लाख मजदूर ही निबंधित हैं। विकास मित्रों के माध्यम से निर्माण मजदूरों के निबंधन पर भी बात हो रही है। हर पंचायत में कम से कम 200 निर्माण मजदूरों के निबंधन का लक्ष्य है।

ऐसे होता है निबंधन : बिहार भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिकों को कल्याण बोर्ड में निबंधन कराना जरूरी है। सभी श्रम अधीक्षक व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी निर्माण कामगारों के पंजीयन पदाधिकारी घोषित हैं। निर्माण मजदूर स्वयं सत्यापित कर आवेदन पत्र श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (एलईओ) या श्रम अधीक्षक को देना होता है। श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, भवन निर्माण इंजीनियर और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि कमेटी निर्माण मजदूर का सत्यापन करती है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 10.7.2016)**

अब 24 घंटे खुल सकेंगे मॉल, सिनेमा व दुकानें

देश भर में शापिंग मॉल, सिनेमा और दुकानों समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को साल भर 24 घंटे खोला जा सकेगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने

द मॉडल शॉप्स एंड इस्टेबलिशमेंट (रेग्यूलेशन ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज) बिल 2016 को मंजूरी दे दी। यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने की अनुमति देता है। कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में काम करने की छूट दी गई है। हालांकि प्रतिष्ठान को पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा और क्रैच जैसी सुविधाओं का इंतजाम करना होगा। इस मॉडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं। **10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान इस कानून के दायरे में आएंगे। लेकिन मैन्युफैक्चारिग इकाइयों पर लागू नहीं होगा।**

हजारों नौकरियाँ पैदा होंगी : इस कानून का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है क्योंकि दुकानों व प्रतिष्ठानों के पास ज्यादा समय तक खुले रहने की आजादी होगी, जिसके लिए अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। यह आईटी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च दक्ष कर्मचारियों के लिए दैनिक कामकाजी घंटों (नौ घंटे) और साप्ताहिक कामकाजी घंटों (48 घंटे) में भी छूट देता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.6.2016)

आगे भी मिलती रहेगी एक हजार रुपये पीएफ पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में संशोधन कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस स्कीम में पेंशनधारियों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह पेंशन आगे भी मिलेगी। इस स्कीम में 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं।

प्राइवेट बैंकों में पीएफ जमा नहीं होगा : ईपीएफओ की फाइनेंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टमेट कमेटी ने प्राइवेट बैंक जैसे आइसीआइसीआइ, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक में भी पीएफ का पैसा जमा करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अभी ईपीएफओ में सेवायोजकों द्वारा पैसा भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराया जाता है। कमेटी की सिफारिशें सात जुलाई को केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 30.6.2016)**

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा

डीएम के कर्तव्य और शक्तियाँ : 1. जिलधिकारी उपनियम (2) एवं (3) में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है।

2. जिलाधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

क. यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन तथा संपत्ति सुरक्षित रहे और वे सुरक्षा तथा सम्मान से जीवन यापन करने में समर्थ हो सके।

ख. भरण-पोषण के लिए आवेदनों का समय पर और सुनिश्चित ढंग से निष्पक्ष निपटारा तथा अधिकरण के आदेशें का निष्पादन करने के विचार से जिले के भरण-पोषण अधिकरण तथा भरण-पोषण अधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।

ग. जिले में वृद्धाश्रमों के कामकाज का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन नियमों में अधिकथित मानकों तथा राज्य सरकार के किसी अन्य मार्गदर्शक और आदेशों के अनुरूप है।

घ. अधिनियम के प्रावधानों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के कार्यक्रमों का नियमित तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

च. पंचायत, नगरपालिका, नेहरू युवा केन्द्र, शैक्षणिक संस्थाएं और विशेषत: उनकी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, संगठन, विशेषज्ञ कार्यकर्ता आदि जो जिले में कार्य कर रहे हैं, को प्रोत्साहित करना तथा उनके साथ समन्वय स्थापित करना ताकि उनके संसाधनों तथा प्रयासों को जिले के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी तरीके से उन्नत किया जा सके।

छ. प्राकृतिक आपदाएँ तथा आकस्मिकताओं की दशा में वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सहायता तथा राहत का प्रावधान सुनिश्चित करना।

ज. वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विभागों तथा स्थानीय निकायों के अधिकारियों की नियतकालीन संवेदनशीलता ऐसे नागरिकों की आवश्यकता और इनके लिए अधिकारियों के कर्तव्य के प्रति सुनिश्चित करना।

झ. ऐसे नगरों में जहाँ पुलिस आयुक्त हों, से भिन्न जिलों में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों के अन्वेषण तथा विचारण की प्रगति को समीक्षा करना।

ट. नागरिकों के सामान्य संपर्क में आनेवाले कार्यालयों जैसे पंचायत, प्रखंड विकास कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, जिला समाज कल्याण कार्यालय, समाहरणालय, पुलिस स्टेशन आदि में भरण-पोषण के लिए विहित आवेदन प्रारूपों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चिता करना।

ठ. प्रारंभ में जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सहायता केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और

ड. ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो राज्य सरकार आदेश द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जिला अधिकारी को समनुदेशित करे। जिलाधिकारी अपने जिले में वरिष्ठ नागिरकों के जीवन और उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे, इसके लिए दी गई शक्ति का उपयोग करेगा।

(बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012) **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 07.07.2016)**

कम खर्च पर अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराना लक्ष्य : डॉ मोहनका

श्री बालाजी नेत्रालय का उद्घाटन

श्री बालाजी नेत्रालय खोलने का मुख्य उद्देश्य बिहार वासियों को कम खर्च पर गुणवत्तापूर्ण अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराना है। साथ ही आर्थिक रूप से अति कमजोर लोगों को नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा उपलब्ध करना है। ये बाते दिनांक 10 जुलाई 2016 को श्री बालाजी नेत्रालय के निदेशक डॉ शशि मोहनका ने श्री बालाजी नेत्रालय के उद्घाटन अवसर पर कही। डॉ. मोहनका ने बताया कि इस नेत्रालय की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसका ऑपरेशन थियेटर व्यूअर्स गैलरी के साथ बनाया गया है, जिससे मरीज के परिजन बाहर से ही देख सकेंगे कि मरीज का ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। डॉ. मोहनका ने बताया कि बिहार की प्रगति एवं नेत्र चिकित्सा के अत्याधुनिक इलाज की दृष्टि से इस नेत्रालय का शुभारंभ अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक संगठनों अग्रसेन सेवा न्यास, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी, श्याम सेवा ट्रस्ट, वन बंधू परिषद आदि के सहयोग से प्रतिमाह 400 से अधिक लोगों की नि: शुल्क जाँच करेंगे तथा करीब 100 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी नि:शुल्क करेंगे। इस अस्पताल का उद्घाटन ऊर्जा एवं वाणिज्यकर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया।

इस मौके पर विशिष्ठ अतिथि के रूप में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह, डॉ बी. के अग्रवाल, साई नाम रियलिटी के प्रबंध निदेशक रवि मोहनका, अमर अग्रवाल, पी. के. अग्रवाल, राधेश्याम बंसल, कुम्हरार के विधायक अरूण कुमार सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। **(साभार : आज, 11.7.2016)**

भागलपुर में बिहार का तीसरा डाक मुख्यालय

पटना और मुजफ्फरपुर के बाद भागलपुर में डाक विभाग का नया हेडक्वार्टर बनाया गया है। भागलपुर प्रमंडल के डाक अधीक्षक डी. के. झा ने बताया कि केन्दीय मंत्री लॉ एंड ऑर्डर सह आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और संचार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा पटना डाकघर से इसका विधिवत उदघाटन करेंगे।

डाक अधीक्षक ने बताया कि नए हेडक्वार्टर का नाम पूर्वी क्षेत्र भागलपुर दिया गया है। इसके अधीन भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, गया आरएमएस, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, समस्तीपुर, समस्तीपुर आरएमएस, नवादा, नालंदा और आरएमएस सी डिविजन प्रमंडलीय डाक क्षेत्र होगा। जहाँ पीएमजी यानी पोस्टमास्टर जनरल, डाक विभाग के निदेशक, उप निदेशक समेत कई वरीय अधिकारी बैठेंगे। उन्हेंने बताया कि हेडक्वार्टर बनने से डाक सुविधाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। प्रमंडलीय स्तर पर बड़े फैसले भागलपुर से ही लिये जा सकेंगे। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.7.2016)**

दिनांक 5 जुलाई 2016 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल में हुए फेर-बदल के बाद केन्द्रीय मंत्री और उनके विभाग

नरेन्द्र मोदी	– प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मसले एवं अन्य मंत्रालय जो किसी को आवंटित नहीं हैं।
कैबिनेट मंत्री	**विभाग**
राजनाथ सिंह	– गृह
सुषमा स्वराज	– विदेश
अरुण जेटली	– वित्त एवं कारपोरेट मामले
एम वेंकेया नायडू	– शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन, सूचना एवं प्रसारण
नितिन गडकरी	– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी
मनोहर पर्रिकर	– रक्षा
सुरेश प्रभु	– रेलवे
डी. वी. सदानंद गौड़ा	– सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन
उमा भारती	– जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन
डॉ. नजमा हेप्तुल्ला	– अल्पसंख्यक मामले
रामविलास पासवान	– उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
कलराज मिश्रा	– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
मेनका गाँधी	– महिला एवं बाल विकास
अनंत कुमार	– रसायन एवं उर्वरक, संसदीय कार्य
रवि शंकर प्रसाद	– विधि एवं न्याय
जे. पी. नड्डा	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
अशोक राजपति राजू	– नागरिक उड्डयन
अनंत गीते	– भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम
हरसिमरत कौर	– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
नरेन्द्र सिंह तौमर	– ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेय जल एवं स्वच्छता
चौधरी बीरेन्द्र सिंह	– इस्पात
जुएल ओराम	– आदिवासी मामले
राधा मोहन सिंह	– कृषि एवं किसान कल्याण
थावर चन्द गहलोत	– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
स्मृति ईरानी	– वस्त्र
हर्षवर्धन	– विज्ञान एवं तकनीकी, पृथ्वी विज्ञान
प्रकाश जावड़ेकर	– मानव संसाधन विकास
राज्य मंत्री	**विभाग**
बंडारू दत्तात्रेय	– श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार)
राव इंद्रजीत सिंह	– योजना (स्वतंत्र प्रभार), शहरीविकास, आवास एवं गरीबी उन्मूलन
राजीव प्रताप रूड़ी	– कौशल विकास एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार)
विजय गोयल	– युवा मामले एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन
श्रीपद यस्सी नाईक	– आयुष (स्वतंत्र प्रभार)
धर्मेन्द प्रधान	– पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार)
पीयूष गोयल	– ऊर्जा, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, खान (स्वतंत्र प्रभार)
डॉ. जितेन्द्र सिंह	– पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पैंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग
निर्मला सीतारमण	– वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार)
महेश शर्मा	– संस्कृति, पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार)
मनोज सिन्हा	– संचार (स्वतंत्र प्रभार), रेलवे
अनिल माधव दवे	– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
	(स्वतंत्र प्रभार)
जनरल वी. के. सिंह	– विदेश
संतोष कुमार गंगवार	– वित्त
फग्गन सिंह कुलस्ते	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मुख्तार अब्बास नकवी	– अल्पसंख्यक मामले, संसदीय कार्य
एस. एस. अहलुवालिया	– कृषि एवं किसान कल्याण, संसदीय कार्य
रामदास आठवले	– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
रामकृपाल यादव	– ग्रामीण विकास
हरिभाई पारथीभाई चौधरी	– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
गिरिराज सिंह	– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
हंसराज अहीर	– गृह
जी. एम. सिद्देश्वरा	– भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम
रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी	– पेयजल एवं स्वच्छता
राजेन गोहेन	– रेलवे
पुरुषोत्तम रूपाला	– कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायती राज
एम. जे. अकबर	– विदेश
उपेन्द्र कुशवाहा	– मानव संसाधन विकास
राधाकृष्णन पी	– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन
किरेन रिजिजू	– गृह
कृशनपाल	– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर	– आदिवासी मामले
डॉ. संजीव कुमार बाल्यान	– जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन
विष्णुदेव साय	– इस्पात
सुदर्शन भगत	– कृषि एवं किसान कल्याण
वाई. एस. चौधरी	– विज्ञान एवं तकनीकी, पृथ्वी विज्ञान
जयंत सिन्हा	– नागरिक उड्डयन
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर	– सूचना एवं प्रसारण
बाबुल सुप्रियो	– शहरी विकास, आवास एवं गरीबी उन्नयन
साध्वी निरंजन ज्योति	– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
विजय सांपला	– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
अर्जुन राम मेघवाल	– वित्त, कॉरपोरेट मामले
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	– मानव संसाधन विकास
अजय टमटा	– वस्त्र
कृष्णाराज	– महिला एवं बाल विकास
मनसुख लाल मंडाविया	– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, रसायन एवं उर्वरक
अनुप्रिया पटेल	– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
सी. आर. चौधरी	– उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
पी. पी. चौधरी	– विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना तकनीकी
डॉ. सुभाष रामराव भामरे	– रक्षा

(साभार: आज, 6.7.2016)

पोस्ट ऑफिस में जमा होगा होल्डिंग टैक्स

आनेवाले दिनों में शहर के लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने की नयी सुविधा मिलने जा रही है। अब शहर के लोग मोबाइल और पोस्ट ऑफिस के जरिये होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे। जल्द ही नगर निगम इन सुविधाओं का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति में लायेगा। अब नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करना बेहद आसान होगा।

निगम की तैयारी है कि मोबाइल से टैक्स जमा करने के लिए नया एप लाया जाये, वहीं पोस्टऑफिस में भी लोग टैक्स जमा कर सकें, इसके लिए डाकघरों में निगम अपने स्तर से काउंटर लगाए, वहीं नगर निगम शहर के नये लोगों को होल्डिंग टैक्स की जद में लाने के लिए पहली बार पीटीआर फाइल करनेवाले लोगों को टैक्स में भी छूट देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 11.7.2016)

दो साल में तैयार होगा मढ़ौरा कारखाना

सारण जिले के मढ़ौरा में निर्माणाधीन डीजल इंजन कारखाना दो साल में तैयार हो जाएगा। जून 2018 से इस कारखने से डीजल इंजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस कारखाने में हर साल 120 इंजन का निर्माण होगा। लालू प्रसाद के रेल मंत्रित्वकाल में इस कारखाने की स्वीकृति मिली थी।

• निर्माण कंपनी के वाइस चेयरमैन ने की उद्योग मंत्री से मुलाकात • पाँच सौ से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा • 120 इंजन का निर्माण होगा हर साल • 2 सौ एकड़ में बन रहा है कारखाना **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.7.2016)**

PT.GPO/R-10/NP-15/2014-2016 — R. N. 4211/62

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

01 July
Sri Vyas Muni Ojha
M/s Jalpan

01 July
Sri Rajesh Kr. Agrawal
M/s Shankar Lal Rajesh Kumar

01 July
Sri Shashi Bhusan Prasad
M/s Star India Construction (P) Ltd.

02 July
Sri Nirmal Kr. Khetriwal
M/s Khetriwal & Co

02 July
Sri Piyush Nandan
M/s Aligarh Locks Pvt. Ltd.

03 July
Sri Amit Gupta
M/s Alankar Jewellers & Bros.

07 July
Sri Diwakar Prasad
M/s Shree Balajee Pharma

07 July
Sri Aggarwal Raj Paul
M/s Bombay Hardware Stores

08 July
Sri Praudyot Sinha
M/s K. D. Liquor & Firtilizer (P) Ltd.

10 July
Sri Ajay Kr. Jagnani
M/s Shankar & Co.

13 July
Smt. Tulika Kumar
M/s Askara Marketing Services

15 July
Sri Vinod Kr. Dugar
M/s Jain International

15 July
Sri Sunil Kr. Sinha
M/s Ex-Armymens' Protection Services P. Ltd

19 July
Sri Ram Janam Sharma
M/s Narayan Sanitary Agencies

20 July
Sri Vineet Vikas Choubey
M/s ACC Ltd.

21 July
Sri Raj Kumar Saraf
M/s Alok Enterprises

21 July
Dr. Subhash Chandra
M/s Development Research Consultants

22 July
Sri P. C. Trivedi
Bihar Tambaku Bidi and Bidi Patta Vyapari Sangh

25 July
Sri Anil Kumar
M/s Scorpion Express (P) Ltd.

27 July
Sri Nitin Abhishek
M/s Jaya Nutritions Pvt. Ltd.

27 July
Sri Sanjay Kumar
M/s Aggar Security Services (I) Pvt. Ltd.

28 July
Sri Moti Lal Khetan
M/s Hindustan Concrete & Allied Industries

बुलेटिन के इस अंक से एक नया कॉलम 'जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाऐं' शुरू किया जा रहा है।
आशा है, माननीय सदस्यगण इसे पसंद करेंगे।
माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे भी अपना जन्मदिन रंगीन फोटो के साथ हमें भेजने की कृपा करें ताकि उनका जन्मदिन भी समयानुसार बुलेटिन में प्रकाशित कर शुभकामनाएं दी जा सके।
– शशि मोहन, महामंत्री

चैम्बर के वरिष्ठ सदस्य के आशीर्वचन

श्री गोपी कृष्ण गोलवारा, पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज वर्ष 1944 में चैम्बर के सदस्य बने। 1966-67 में कार्यकारिणी के सदस्य, 1980-81 में कोषाध्यक्ष एवं 1998-99 में चैम्बर के उपाध्यक्ष पदों को सुशोभित किया ।

श्री गोलवारा जी 1966-67 से 2016 तक चैम्बर के साथ 50 वर्षों तक सक्रिय रूप से जुड़े रहें। उन्होंने वर्ष 2016 को चैम्बर से सक्रिय जुड़ाव को अपना '**50वाँ स्वर्ण वर्ष**' माना है। इस दौरान चैम्बर सदस्यों द्वारा मिले प्यार एवं अपनत्व पर चैम्बर के सदस्यों को अपना आशीष प्रदान करते हुए लिखा है :-

My Heartiest Blessings
TO ALL MEMBERS
on 50th Golden Year of My Activities in
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

— Gopi Krishna Golwara
Former Vice-President, BCCI

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph. : 2667296